29 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

['अनुदानों की मांगे (2021-22)' संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

उनतीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2021/अग्रहायण, 1943 (शक)

उनतीसवाँ प्रतिवेदन

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

['अनुदानों की मांगे (2021-22)' संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

1.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
1.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2021/अग्रहायण, 1943 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
समिति की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iii)
अध्याय I	प्रतिवेदन.....	1
अध्याय II	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.....	25
अध्याय III	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....	48
अध्याय IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....	49
अध्याय V	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं.....	67
	अनुबंध	
I.	समिति की 17 नवंबर, 2021 को आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।*	-
II.	तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	75

*संलग्न नहीं है

<u>संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना</u>

डॉ. शशि थरूर - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
4. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. सुश्री सुनीता दुग्गल
7. श्री जयदेव गल्ला
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. डॉ. सुकान्त मजूमदार
10. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
11. सुश्री महुआ मोइत्रा
12. श्री संतोष पान्डेय
13. श्री पी. आर. नटराजन
14. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
15. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
16. श्री संजय सेठ
17. श्री गणेश सिंह
18. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
19. श्री तेजस्वी सूर्या
20. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
21. **रिक्त**

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. श्री जॉन ब्रिटास
24. डॉ. सुभाष चन्द्र
25. श्री वाई. एस. चौधरी
26. श्री रंजन गोगोई
27. श्री सुरेश गोपी
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफर इस्लाम
30. श्री जवाहर सरकार
31. **रिक्त**

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वाई.एम.कांडपाल - संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास - अपर निदेशक
3. श्री शांगरीसो जिमिक - उप सचिव

समाचार भाग दो -, दिनांक बरअक्टू 9,सितंबर 13 के तहत समिति का 3184 का पैरा संख्या 2021 , को गठन। 2021

प्राक्कथन

मैं, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगे (2021-22)' संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर उनतीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. तेईसवां प्रतिवेदन 10 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। दूरसंचार विभाग ने 27 जुलाई, 2021 को तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत की।

3. समिति की 17 नवंबर, 2021 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय-एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली;
29 नवंबर, 2021
8 अग्रहायण, 1943 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय एक

प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. तेईसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 10 मार्च, 2021 को प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 15 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण संचार मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:-

एक. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है:
सिफारिश क्रम संख्या: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 और 14

(कुल - 08)
अध्याय - दो

दो. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है:
सिफारिश क्रम संख्या: शून्य

(कुल - शून्य)
अध्याय - तीन

तीन. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:
सिफारिश क्रम संख्या: 5, 6, 7 और 15

(कुल - 04)
अध्याय - चार

चार. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं:
सिफारिश क्रम संख्या: 8, 9 और 10

(कुल - 03)

अध्याय - पांच

4. समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यंत महत्व दिया जाएगा। समिति आगे चाहती है कि प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई विवरण और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की-गई-कार्रवाई उत्तर इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात शीघ्र ही समिति को प्रस्तुत किए जाए।

5. अब समिति अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में चर्चा करेगी।

भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति

(सिफारिश क्रम सं. 5)

6. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति नोट करती है कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार भारतनेट को पूरा करने का लक्ष्य अर्थात सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोडने की समय-सीमा मार्च 2019 की थी। तथापि चूंकि यह देश में फैली व्यापक प्रकृति की मेगा परियोजना है, अत: मार्च 2019 तक मात्र 1.18 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा सका था। भारतनेट परियोजना को अगस्त 2021 तक पूरा किये जाने की परिकल्पना थी। तथापि यह समय सीमा अब कोविड-19 के कारण विभिन्न सरकारों द्वारा लॉकडाउन एवं आवाजाही में लगाए गए प्रतिबंधों के विचार से

विस्तारित की जानी है। निधियों के उपयोग की स्थिति के संबंध में समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2020-21 में 6000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 5500 करोड़ रुपए कर दिया गया था और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार वास्तविक उपयोग 4341.85 करोड़ रुपये रहा है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन की गति लक्ष्य की तुलना में धीमी थी। चरण-II का कार्य मुख्यत: 8 राज्यों (राज्य आधारित मॉडल पर लगभग 65000 ग्राम पंचायतें) तथा बीएसएनएल (सीपीएसयू आधारित मॉडल में 23000 ग्राम पंचायतें) पर निर्भर था। बीएसएनएल अपने आंतरिक मामलों एवं वित्त के कारण क्षमता संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। इसके अलावा राज्य आधारित मॉडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं उड़ीसा राज्य कहीं अधिक धीमा कार्य कर रहे थे। तमिलनाडु में कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया की जा रही है। पीपीपी मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में विभाग ने सूचित किया है कि भारतनेट में पीपीपी मॉडल के लिए दूरसंचार विभाग में स्वीकृति प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। यूएसओएफ/दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कैबिनेट नोट बनाया जा रहा है।

समिति नोट करती है कि विभाग अभी भी इन राज्यों में क्रियान्वयन की रणनीति से जूझ रहा है। समिति का मानना है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में कार्यान्वयन की भारी क्षमता है और एक बार कार्यान्वयन की रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वे जल्द से जल्द काम पूरा करने में सक्षम होंगे। चूंकि परियोजना को पूरा करने में काफी विलंब हुआ है, इसलिए समिति की इच्छा है कि विभाग द्वारा इस मामले को उच्च स्तर पर संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाए। चूंकि बीएसएनएल अपने आंतरिक मुद्दों और वित्तीय मामलों के कारण क्षमता की कमी से भी जूझ रहा है, इसलिए समिति का विचार है कि विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य तरीके और साधन

तलाशने चाहिए कि सीपीएसयू एलईडी मॉडल के तहत 23000 जीपीएस में कार्य का कार्यान्वयन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाए और बीएसएनएल की क्षमता संबंधी कमियों को परियोजना को समय पर पूरा करने में अवरोध नहीं बनने देना चाहिए, भले ही तेजी से और समय पर निष्पादन के लिए बीएसएनएल को जरूरी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पड़े। समिति को विभिन्न राज्यों में परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित किया जाये।"

7. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:

"भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में विभिन्न मॉडलों के तहत की गई प्रगति इस प्रकार है:

I. भारतनेट चरण-I की स्थिति:

इस परियोजना के चरण-I के तहत 1,25,000 ग्राम पंचायतों (संशोधित कार्यक्षेत्र सहित) को जोड़ने का काम 3 सीपीएसयू: बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल को आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2021 तक 3,07,114 किलोमीटर भूमिगत ओएफसी बिछाकर कुल 1,20,642 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। ओएफसी पर जोड़ी गयी इन ग्राम पंचायतों में से 1,18,583 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है (पायलट चरण की 60 ग्राम पंचायतों सहित):

सीपीएसयू	चरण 1- जिले	चरण 1- ब्लॉक	चरण 1- ग्राम पंचायतें	बिछाई गयी ओएफसी)किमी(	ग्राम पंचायतें जहां केबल बिछाई गई है	सेवा हेतु तैयार ग्राम पंचायतें
बीएसएनएल	403	2473	101831	250287	100935	100714
रेलटेल	63	316	10805	25357	9368	7697
पीजीसीआईएल	39	512	10401	31459	10324	10157

बीबीएनएल)बीएसएनएल से परिवर्तित (अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	3	6	59	11	15	15
कुल	**509**	**3307**	**123096**	**307114**	**120642**	**118583**

II. भारतनेट चरण-II परियोजना की स्थिति (31.03.2021 तक)

मीडिया के इष्टतम मिश्रण यानी मौजूदा बिजली के खंभों पर एरियल ओएफसी, शीघ्र परिनियोजन के लिए रेडियो और उपग्रह और जैसा कि चरण-I के लिए किया जा रहा है भूमिगत ओएफसी द्वारा शेष लगभग 1,25,000 शेष बची ग्राम पंचायतों को सीधे ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने के लिए भारतनेट चरण-II का नियोजन किया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन राज्यों और राज्यों की एजेंसियों और निजी क्षेत्र की एजेंसियों और सीपीएसयू के माध्यम से प्रस्तावित है।

)कार्यान्वयन के तहत (मॉडल	**ग्राम पंचायतों की संख्या**	**राज्य**	**स्थिति**
राज्य-आधारित 9)राज्य(	71,313	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड	बिछाई गयी डक्ट)किमी :(104025 बिछाई गयी ओएफसी)किमी :(132829 ओएफसी पर जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें26819: सेवा के लिए तैयार)ग्राम पंचायतें) 19024 :(उत्तराखंड के

			लिए डीपीआर को मंजूरी दी जा रही है(
निजी क्षेत्र 2)राज्य(	7381	पंजाब और बिहार	बिछाई गयी डक्ट)किमी21770 :(बिछाई गयी ओएफसी)किमी :(22721 ओएफसी पर जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें7357 - सेवा के लिए तैयार)ग्राम पंचायतें7357 :(
सीपीएसयू -आधारित 4)राज्य(	27406	बीएसएनएल: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर	बिछाई गयी डक्ट)किमी64262 :(बिछाई गयी ओएफसी)किमी :(53713 ओएफसी पर जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें12510 : सेवा के लिए तैयार)ग्राम पंचायतें (5817 :
सैटेलाइट मॉडल	5548	पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर आदि।	स्थापित 3850 - सेवा के लिए तैयार 3838 -
पीपीपी मॉडल	लगभग 31000	विभिन्न राज्य	कैबिनेट ने भारतनेट के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी दे दी है।
कुल मिलाकर प्रगति			बिछाई गयी डक्ट)किमी190057 :(बिछाई गयी ओएफसी)किमी :(209263 ओएफसी पर जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें 46686 सेवा के लिए तैयार)ग्राम पंचायतें :( ) 36036ओएफसी पर

	+32198उपग्रह पर (3838

III. भारतनेट परियोजना की समग्र उपलब्धि:

दिनांक 31.03.2021 तक कुल 5,16,377 किलोमीटर ओएफसी बिछाई जा चुकी है, जिसमें से 1,67,328 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। इन 1,67,328 ओएफसी से जुड़ी ग्राम पंचायतों में से 1,50,781 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा 3838 ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट पर सेवा के लिए तैयार किया गया है। कुल 1,54,619 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि भारतनेट एक विशाल स्तर की चुनौतीपूर्ण परियोजना है और ग्राम पंचायतें देश भर के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हैं। भारतनेट परियोजना को अगस्त 2021 तक पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन और विभिन्न सरकारों द्वारा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाये जाने से कार्य पूरा होने की गति प्रभावित हुई है जिससे अब इस अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। तथापि अनलॉक चरण की शुरुआत के साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ न्यूनतम उपयोग और इसके संचालन और रखरखाव के मुद्दे का समाधान करने और बसे हुए गांवों को कवर करने के लिए भारतनेट के पीपीपी मॉडल की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2019 में डीसीसी द्वारा अनुमोदित पीपीपी मॉडल को पीपीपी मॉडल में

अंतरण के लिए विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है और तदनुसार मेसर्स डिलॉयट को 13.01.2020 से प्रबंध संबंधी सलाहकार के रूप में नियुक्त गया था। सलाहकारों की टीम ने परियोजना के लिए आवश्यक वीजीएफ निर्धारित करने के लिए कैपेक्स, ओपेक्स और राजस्व मॉडलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद नीति आयोग में इस पर विचार-विमर्श किया गया और उनकी टिप्पणियों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त संशोधनों के साथ यह प्रस्ताव पीपीपीएसी को प्रस्तुत किया गया। कई दौर की चर्चा/प्रस्तुतियों और संशोधनों, दूरसंचार में पीपीपी मॉडल के अपनी तरह का पहला मॉडल होने के कारण पीपीपीएसी की मंजूरी (फरवरी 2021 में) मिली थी। इसके बाद मंत्रिमंडल ने दिनांक 30.06.2021 को पीपीपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कार्यान्वयन की गति को तेज करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।"

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

8. समिति ने नोट किया था कि राज्य आधारित मॉडल (8 राज्यों में 65000 जीपी) और सीपीएसयू आधारित मॉडल (बीएसएनएल द्वारा कार्यान्वित 23000 जीबी) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की धीमी गति के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान भारत नेट चरण-दो के कार्यान्वयन की गति लक्ष्य की अपेक्षा धीमी रही थी। परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, समिति की इच्छा थी कि विभाग इसके शीघ्र और समय पर पूरा होने के लिए बीएसएनएल को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु मामले को उच्चतम स्तर पर संबद्ध राज्य सरकारों के साथ उठाए। राज्य द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई टिप्पणी से समिति नोट करती है कि राज्यों में राज्य आधारित मॉडल के अंतर्गत 71313 जीपी ओएफसी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार केवल 26819 जीपी को ओएफसी पर कनेक्ट किया

गया है और 19024 जीपी को सेवा के लिए तैयार किया गया है। सीपीएसयू आधारित मॉडल के संबंध में, 27,406 जीपी को 4 राज्यों में ओएफसी से जोड़ा जाना है। तथापि, इसी अवधि के दौरान केवल 12510 जीपी को ओएफसी से जोड़ा गया है और 5817जीपी में सेवा आरंभ हो गई है। अगस्त, 2021 तक पूरी की जाने वाली भारतनेट की समय-सीमा को आस्थगित करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन और कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण कार्यान्वयन की गति प्रभावित हुई है। शेष राज्यों के लिए, मंत्रिमंडल में 31000 जीपी को कनेक्ट करने के लिए 30 जून, 2021 को पीपीपी हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। विभाग की की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों में इस मामले को उच्चतम स्तर पर संबद्ध राज्य सरकारों के साथ उठाने तथा इसके शीघ्र तथा समय पर पूरा करने के लिए बीएसएनएल को आवश्यक सहायता प्रदान करने से संबंधित समिति की सिफारिशों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। परियोजना को पूरा करने में काफी विलंब और डिजिटल इंडिया की सफलता हेतु परियोजना के महत्व पर विचार करते हुए शेष 125000 जीपी (लगभग) को कनेक्ट करने हेतु चरण-दो के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा गंभीरतापूर्वक प्रयास करने पर जोर देने की आवश्यकता है। समिति यह नोट कर चिंतित है कि 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, 125,000 जीपी (लगभग) के लक्ष्य की तुलना में केवल 46686 जीपी ओएफसी जोड़े गए हैं। यह चिंता की बात है और परियोजना कार्यान्वयन विशेषकर राज्य और सीपीएसयू आधारित मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वयन में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है। समिति इस बात को पूरी तरह समझती है कि कार्य की इस गति से इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए समिति महसूस करती है कि विभाग को इन दो मॉडलों के अंतर्गत सामने आ रही समस्याओं/चुनौतियों पर विशेषकर इस मामले के संबद्ध राज्यों के साथ उठाकर तथा अड़चनों वाले क्षेत्रों की पहचान करके और कार्य की प्रगति को सुगम बनाने हेतु समय पर हस्तक्षेप करके विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बीएसएनएल क्षमता संबंधी कठिनाइयों से जूझ रहा है, समिति चाहती है कि परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिए बीएसएनएल को आवश्यक सहायता दी जाए।

समिति आशा करती है कि कोविड-19 के कारण अनेक प्रतिबंधों के बावजूद विभाग परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सभी प्रयास करेगा। समिति भारतनेट प्रोजेक्ट के विभिन्न मॉडलों के अंतर्गत अब तक की गई प्रगति संबंधी अद्यन स्थिति की भी सराहना करना चाहेगी।

भारतनेट के अंतर्गत सृजित अवसंरचना का उपयोग

(सिफारिश क्रम सं. 6)

9. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति नोट करती है कि 31 दिसंबर 2020 तक भारत नेट के कार्यान्वयन के लिए 25101.25 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया था। 3497 ब्लॉक मुख्यालयों सहित 1,51,404 ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार कर दिया गया है और 1,04,026 ग्राम पंचायतों को वाई-फाई हॉटस्पॉट, 4,84,506 ग्राम पंचायतों को एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए, 18,039 किलोमीटर के लिए फाइबर पट्टे पर देने का काम किया गया है, आदि। समिति को यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि भारतनेट का उपयोग विशेषत: वाईफाई हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा अत्यधिक सुधार हुआ है। समिति नोट करती है कि देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान करने के लिए भारतनेट का कार्यान्वयन किया जा रहा है और सभी लगभग 6 लाख ग्रामों को कवर करने के लिए दायरे को बढ़ाया गया है। समिति को बताया गया है कि जैसा कि 18-09-2020 को डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है, पीपीपी-एसी जो कि वित्त मंत्रालय में एक विशेषज्ञ निकाय है से 16 राज्यों में लगभग 3.5 लाख गांवों को कवर करने के लिए पीपीपी मॉडल के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है और विभाग द्वारा इसे बहुत जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करता

है जिसमें सेवा प्रदान करने की लागत की तुलना में राजस्व की बहुत कम संभावना है। सेवाओं की कम लागत वाली पैकेजिंग के साथ केवल एक प्रभावी ओ एंड एम ही लंबे समय तक राजस्व सुनिश्चित कर सकता है। विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि इन वाई-फाई हॉटस्पॉट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए बीबीएनएल द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

समिति का मानना है कि इतने बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद इसका इष्टतम उपयोग विभाग के लिए अगली बड़ी चुनौती है। बनाए गए नेटवर्क के इष्टतम उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निर्माण, उन्नयन, ओएंडएम और भारतनेट के उपयोग के लिए सिफारिश के अनुसार पीपीपी मॉडल को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। बनाए गए नेटवर्क बुनियादी ढांचे के ओ एंड एम पर भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि भारतनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न हितधारकों द्वारा सबसे अधिक मांग की जाए। समिति की सिफारिश है कि विभाग द्वारा एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वाई-फाई हॉटस्पॉट के कामकाज से संबंधित सभी शिकायतों पर पर्याप्त रूप से विचार और उनका समाधान किया जा सके ताकि ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता और विभाग को दी गई प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर सकती है। समिति की यह भी इच्छा है कि नेटवर्क के उपयोग में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सके ताकि उनकी आय सृजन को बढ़ाया जा सके।"

10. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:

1. "नेटवर्क की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

क) उपयोग के लिए काफी हद तक जिम्मेदार सीएससी को एमएलएम और ओ एंड एम संबंधी कार्य सौंपना।

ख) बीबीएनएल द्वारा निविदा के जरिए 500 मीटर से अधिक खराब फाइबर की मरम्मत।

ग) कार्य बंद रहने के समय को कम करने के लिए पर्याप्त पुर्जों की व्यवस्था।

घ) सीएससी-एसपीवी को ओएनटी को ऐसे स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई जहां बिजली की उपलब्धता, सुरक्षा और चौबीसों घंटे मैनिंग संभव हो।

ड.) हानिपूर्ण फाइबर और खराब ओएफ केबल सेक्शनों को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

च) भारतनेट चरण-।। में बीबीएनएल, बीएसएनएल के मौजूदा ओएफसी नेटवर्क का उपयोग नहीं कर रहा अपितु ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक नए ओएफसी बिछा रहा है।

छ) सभी ग्राम पंचायतों में जीआईएस मैपिंग की जा रही है ताकि तीव्रता और सटीक रूप से दोषस्थान का निर्धारण किया जा सके।

2. भारतनेट नेटवर्क को वाई-फाई हॉटस्पॉट, एफटीटीएच, लीज्ड लाइन आदि के माध्यम से ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं के उपयोग और व्यवस्था करने के लिए टीएसपी, आईएसपी, बीएसएनएल, सीएससी, आरआईएसएल आदि को पट्टे पर दिया जाता है। वाई-फाई हॉटस्पॉट, एफटीटीएच, लीज्ड लाइन आदि से संबंधित शिकायतों का निवारण इन सेवा प्रदाताओं के शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाता प्रदान

की गई सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि का पता लगाने के लिए सर्वे करने हेतु जिम्मेदार हैं।

तथापि, बीबीएनएल में वाई-फाई हॉटस्पॉटों, एफटीटीएच, लीज्ड लाइन आदि उपलब्ध कराने के लिए टीएसपी/आईएसपी द्वारा भारतनेट नेटवर्क के उपयोग से संबंधित लोक शिकायत के निवारण हेतु एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।

3. दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार भारतनेट के उपयोग की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है":-

क्र.सं.	राज्य	ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या जहां वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित किए गए हैं	एफटीटीएच कनेक्शन्स
1	असम	0	5839
2	बिहार	5344	33282
3	छत्तीसगढ़	3664	17461
4	हरियाणा	5953	33249
5	लद्दाख	169	0
6	जम्मू और कश्मीर	969	766
7	कर्नाटक	5358	36666
8	केरल	1047	2624
9	मध्य प्रदेश	11538	55044
10	महाराष्ट्र	10990	66066
11	पंजाब	7891	38978
12	राजस्थान	8078	2376
13	उत्तर प्रदेश)पूर्व(	17513	105997

14	उत्तर प्रदेश)पश्चिम(	9384	
15	उत्तराखंड	1251	8280
16	पश्चिम बंगाल	1377	6646
17	सिक्किम	0	8
18	अंडमान और निकोबार	0	2
19	चंडीगढ़	12	55
20	अरूणाचल	208	24
21	नागालैंड	0	52
22	मणिपुर	161	100
23	मिजोरम	0	21
24	त्रिपुरा	574	2976
25	मेघालय	70	100
26	गुजरात	3960	33861
27	दमन एवं दीव (डी एंड डी)	20	34
28	दादरा एवं नगर हवेली (डी एंड एनएच)	21	44
29	पुदुचेरी	81	785
30	आंध्र प्रदेश	1570	7365
31	तेलंगाना	1997	2332
32	उड़ीसा	2511	21055
33	झारखंड	2383	15705
34	हिमाचल प्रदेश	254	1072
	कुल	104348	498865

समिति की टिप्पणियां

11. समिति ने वाई-फाई हॉडस्पॉट्स के कार्यकरण की जांच करने तथा सेवा प्रदाताओं की गुणवत्ता का पता लगाने और नेटवर्क के उपयोग में वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु समुचित शिकायत निवारण-तंत्र लागू करने की सिफारिश की थी। विभाग ने बताया है कि वे नेटवर्क में सुधार करने हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं जिनमें दोषपूर्ण फाइबर की मरम्मत, समय में कटौती करने हेतु पर्याप्त स्पेयर्स का प्रबंध करना, लॉसी फाइबर और दोषपूर्ण ओएफ केबल सेक्शन को बदलना, चरण-दो के अंतर्गत नए ओएफसी को ब्लॉक से जीपी तक बिछाना, तीव्र और एक्यूरेट फॉल्ट लोकलाइजेशन के लिए सभी जीपी की जीपीएस मैपिंग, लोक शिकायतों के निवारण हेतु बीबीएनएल में कॉल सेंटर की स्थापना आदि सम्मिलित हैं। समिति आशा करती है कि विभाग भारतनेट द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु ये कदम उठाता रहेगा। तथापि, की-गई-कार्रवाई उत्तर के बारे में विभाग इस बात पर मौन है कि नेटवर्क के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अपनी आय में वृद्धि करने हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने में कितनी सहायता मिली है। देश में सबसे बड़ी नेटवर्क परियोजना होने के नाते भारतनेट को न सिर्फ ई-सेवाओं को गांव के लोगों तक ले जाना चाहिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच आय और रोजगार सृजन के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। समिति की इच्छा है कि विभाग द्वारा भारतनेट अवसंरचना के पूर्ण उपयोग के माध्यम से रोजगार सृजन के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में, समिति अपनी पूर्व-सिफारिश दोहराती है और विभाग से आग्रह करती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नेटवर्क के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच उत्पादक रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायता मिले ताकि उनके आय बढ़ सके। समिति यह भी आशा करती है कि भारतनेट के माध्यम से सृजित रोजगार के अवसरों में स्थानीय जनता को प्राथमिकता दी जाएगी।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (चरण-II) में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान

(सिफारिश क्रम सं. 7)

12. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति नोट करती है कि 23 मई 2018 को मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) फेज-2 के तहत 2जी+4जी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 4072 मोबाइल टावरों को संस्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। दिनांक 26.8.2019 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा चरण-II के लिए चिन्हित स्थलों पर 4जी कवरेज का सत्यापन करने का निर्णय लिया गया था। एलएसए द्वारा बतायी गयी कवरेज स्थिति के अनुसार, 2217 स्थान कवर नही हुए थे। कार्यान्वयन अभिकरण का चयन खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था और परियोजना की कार्यान्वयन अवधि कार्यान्वयन अभिकरण के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने थी। हालांकि, आरएफपी को तकनीक के चयन पर विचार-विमर्श और आरएफपी के खिलाफ प्राप्त एकल बोली के कारण रद्द करना पड़ा। ओडिशा में 325 अतिरिक्त टावर स्थानों को जोड़ने के बाद 2542 स्थलों के लिए 01.12.2020 को डीसीसी के अनुमोदन के अनुसार एलडब्ल्यूई-II परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के विकल्प को अब 2जी +4जी से संशोधित करके 4जी किया गया है। इस परियोजना को नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को प्रदान करने के मुद्दे पर समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल के पास अभी कोई 4जी स्पेक्ट्रम नहीं है और यह जो परिसंपत्ति बनाई गई है वह केवल पांच वर्षों के लिए यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित है। पांच साल बाद संबंधित टीएसपी को कम से कम पांच साल तक जारी रखना होता है। विभाग इस बारे में आश्वस्त नहीं है कि इन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं हो सकता है और क्रय शक्ति कम है, बीएसएनएल को सतत दायित्वों के बोझ से लादे रखना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होगा या नहीं। बीएसएनएल के पास 4जी हो जाने के

बाद वे इस तरह की परियोजना शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। बीएसएनएल ने परंपरागत रूप से कभी किसी टेंडर में भाग भी नहीं लिया है।

समिति नोट करती है कि बीएसएनएल द्वारा एलडब्ल्यूई फेज-1 परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था। इस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की अब दूरसंचार सम्पर्क तक पहुँच है। एलडब्ल्यूई फेज-1 परियोजना को कार्यान्वित करने में बीएसएनएल द्वारा प्राप्त उपलब्धि इस बात का संकेत है कि बीएसएनएल ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम है। समिति ने अपनी छठी और उन्नीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोक सभा) में सिफारिश की थी कि बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन सहित बीएसएनएल की पुनरुद्धार योजना जारी होने के मद्देनजर बीएसएनएल को नामांकन के आधार पर यह परियोजना प्रदान की जाए। जरूरत पड़ने पर सार्वभौमिक गारंटी का मामला भी वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जा सकता है। समिति नोट करती है कि विभाग ने समिति की सिफारिश को वांछित गंभीरता से नहीं लिया है क्योंकि परियोजना के लिए क्रियान्वयन अभिकरण का चयन खुली निविदा के माध्यम से होने जा रहा है। समिति विभाग के इस निवेदन से सहमत नहीं है कि जनसंख्या घनत्व और क्रय शक्ति कम होने के कारण ये क्षेत्र व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं होंगे और बीएसएनएल को सतत दायित्वों के बोझ से लादे रखना नहीं चाहते। चूँकि विभाग स्वयं इस मामले में आश्वस्त नहीं है तो विभाग को कम से कम, बीएसएनएल द्वारा एलडब्ल्यूई फेज-2 परियोजना शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए था। इन क्षेत्रों में सरकार की निरंतर सहायता की आवश्यकता है और मुख्यधारा के साथ अधिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य दूरसंचार संपर्क प्रदान करना सरकार की अत्यंत चिंता का विषय होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व और क्रय शक्ति जैसे कारकों के कारण वाणिज्यिक विचार चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। समिति विभाग से अनुरोध करती है कि खुली निविदा द्वारा आगे बढ़ने से पहले बीएसएनल के माध्यम से परियोजना के

कार्यान्वयन की व्यवहार्यता पर विचार करें। समिति सिफारिश करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करें कि एलडब्ल्यूई-चरण दो आगे किसी और बाधा के बिना कार्यान्वित किया जाए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस सिफारिश के संबंध में विशिष्ट और सटीक उत्तर दिया जाए।"

13. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:

"यह सूचित किया जाता है कि एलडब्ल्यूई चरण-I का कार्यान्वयन नामांकन आधार पर बीएसएनएल को सौंपा गया था क्योंकि इस चरण में 2जी तकनीक का प्रयोग किया गया था और बीएसएनएल द्वारा इसे व्यापक रूप से तैनात किया गया था। तथापि एलडब्ल्यूई चरण-II के लिए मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 21.12.2017 को प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर 2जी + 4जी सेवाओं के लिए अनुमोदन लिया गया था। तत्पश्चात नीति आयोग के दिनांक 06.05.2019 के निर्णय जिसमें अरूणाचल प्रदेश में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान संबंधी सिफारिश की गई और दूरसंचार विभाग आंतरिक समिति की सिफारिश के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 2,288 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2,542 टॉवरों को 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना को अनुमोदित किया गया। वर्तमान में बीएसएनएल के पास 4जी सेवाएं के लिए बहुत सीमित नेटवर्क है और यह अभी भी वाणिज्यिक आधार पर 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है।

इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि बीएसएनएल के पास मौजूद क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए इसे नामांकन के आधार पर कार्यान्वयन के लिए यूएसओएफ की कई परियोजना सौंपी गई है। कुछ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i) यूएसओएफ द्वारा 947.283 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से मुख्यभूमि भारत (चेन्नई) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के बीच समुद्री ओएफसी कनेक्टिविटी। परियोजना पूरी कर ली गई है।

ii) बीएसएनएल द्वारा नामांकन आधार पर 36.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में सेटेलाइट बैडविड्थ को 2 जीबीपीएस से बढ़ाकर 4 जीबीपीएस करना। परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

iii) यूएसओएफ द्वारा 837 करोड़ रुपये की अनुमोदित वित्त पोषण से मुख्य भूमि भारत (कोच्चि) और लक्षद्वीप समूहों के बीच समुद्री ओएफसी कनेक्टिविटी। परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

iv) यूएसओएफ द्वारा 25.75 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से नामांकन आधार पर बीएसएनएल द्वारा जीएसएटी-11 एवं 19 क्षमताओं का उपयोग कर लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूहों में सेटेलाइट बैंडविड्थ को 318 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1.71 जीबीपीएस करना। परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

v) यूएसओएफ द्वारा 30.75 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से नामांकन आधार पर एनएसआईएल और बीएसएनएल द्वारा लक्ष्यद्वीप समूहों के लिए जीएसएटी-31 क्षमताओं का उपयोग कर सेटेलाइट बैंडविड्थ को 1.71 जीबीपीएस से बढ़ाकर 3.46 जीबीपीएस करना। परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।"

समिति की टिप्पणियां

14. समिति लगातार यह सिफारिश करती आयी है कि बीएसएनएल द्वारा 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 2542 टावरों की स्थापना के लिए एलडब्ल्यूई चरण-2 को नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को सौंप देना चाहिए क्योंकि अभी

बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन सहित उसके पुनरुद्धार योजना की प्रक्रिया चल रही है। समिति को यह विश्वास था कि बीएसएनएल को यह परियोजना देने से कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। विभाग ने उत्तर दिया है कि एलडब्ल्यूई चरण-2 के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर 2जी + 4जी सेवाओं के लिए 21.12.2017 को कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी। बीएसएनएल के पास इस समय 4जी सेवाओं का बहुत सीमित नेटवर्क है और यह अभी भी वाणिज्यिक आधार पर 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है। विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि बीएसएनएल की मजबूती का लाभ उठाने के लिए नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को कई यूएसओएफ परियोजनाएं सौंपी गई हैं। इनमें से कुछ में मुख्य भूमि भारत (चेन्नई) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपग्रह बैंडविड्थ में वृद्धि, मुख्य भूमि भारतीय (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी, लक्षद्वीप द्वीप समूह में उपग्रह बैंडविड्थ की वृद्धि आदि शामिल हैं। समिति नोट करती है कि मुख्य भूमि भारत (चेन्नई) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी के अलावा, जिसे बीएसएनएल द्वारा 947.283 करोड़ रुपये की फंडिंग के साथ पूरा किया गया है और मुख्य भूमि भारत (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी यूएसओएफ से 837 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ, जो कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को दी गई है। अन्य सभी परियोजनाएं 40 करोड़ से कम लागत वाली परियोजनाएं हैं, जबकि एलडब्ल्यूई चरण -2 परियोजना के लिए अनुमानित लागत 2,288 करोड़ रुपये है। चूंकि विभाग ने नामांकन के आधार पर काम देने के लिए बीएसएनएल के नाम पर विचार नहीं करने के लिए कोई विशेष कारण प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए समिति इस तरह के निर्णय के पीछे का तर्क समझने की स्थिति में नहीं है। हालांकि विभाग के उत्तर से समिति अब यह मान रही है कि प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर एलडब्ल्यूई चरण -2 का कार्य प्रदान करना एक पूर्वनिष्कर्ष है और विभाग नामांकन के

आधार पर बीएसएनएल को काम देने के लिए इच्छुक नहीं है। समिति चाहती है कि परियोजना के लिए सफल बोली लगाने और संविदा प्रदान करने के लिए सख्त उपाय किए जाएं। समिति यह भी चाहती है कि भविष्य में विभाग द्वारा नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को यूएसओएफ से और अधिक कार्य आवंटित करने के प्रयास किए जाएं। समिति को आशा है कि एलडब्ल्यूई चरण -2 परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए विभाग सभी आवश्यक उपाय करेगा।

टेलीमेटिक्स विकास केंद्र)सी -डॉट(

(सिफारिश क्रम सं. 15)

15. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:-

"समिति नोट करती है कि सी-डॉट दूरसंचार विभाग का स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है तथा यह राष्ट्र में स्वदेशी दूरसंचार क्रांति लाने की अपनी महत्ती भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाना जाता रहा है। यह दूरसंचार प्रौद्योगिकी में वृहत्तर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत के लिए सहायक रहा है तथा देश में दूरसंचार उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देता रहा है। इसने गत 10 वर्षों में 27 विनिर्माताओं के साथ 90 प्रौद्योगिकी अंतरण समझौते किए हैं। समिति को बताया गया है कि पर्याप्त वित्तपोषण की उपलब्धता के अधीन रहते हुए सी-डॉट भारत में उभरते दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकता को पूरा करने तथा इसके लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना द्वारा अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहता है। यह उत्कृष्टता केंद्र प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण तथा ज्ञान के प्रसार को संभव बनाएंगे। तथापि विश्व में बड़े दूरसंचार अनुसंधान विकास कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए कई बिलियन डॉलर के बजट की तुलना में सी-डॉट को अनुसंधान और विकास के कार्यों के लिए मिल रहे वित्त पोषण की धनराशि

अत्यंत कम है। भारत की दूरसंचार क्षेत्र में डिजाइन से लेकर आईपीआर सृजन तक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर विनिर्माण करने हेतु अनुसंधान एवं विकास के लिए अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव के लिए सी-डॉट के वर्तमान में मिल रहे अनुदान की धनराशि 300 करोड़ रुपये को भारी मात्रा में बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की जरूरत होगी।

समिति नोट करती है कि सी-डॉट को प्राप्त अनुदान में वेतन स्टाफ लाभ का अनुपात 2016-17 से धीरे-धीरे बढ़ा है। 2018-19 के दौरान अनुदान की धनराशि में वेतन और स्टाफ लाभ का अनुपात 92.83% था जो 2019-20 में बढ़कर 97.57% हो गया और 2020-2021 में दिसंबर 2020 तक यह अनुपात 105.06% रहा है। इस कारण से सी-डॉट द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अत्यंत अल्प धनराशि आवंटित की जा सकी। दूरसंचार क्षेत्र के प्रौद्योगिकी प्रधान होने के कारण विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने की आवश्यकता है। अनुसंधान और विकास के बिना वास्तव में देश में सही अर्थों में विनिर्माण संभव नहीं हो पाएगा। यह तथ्य है कि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे 5जी और उससे ऊपर की प्रौद्योगिकी एआई और संज्ञानात्मक विज्ञान आदि में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने के प्रस्तावों के लिए नि:संदेह सी-डॉट को मिलने वाली धनराशि में बहुत अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में मिलने वाली धनराशि अर्थपूर्ण अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप के लिए अत्यंत अपर्याप्त है। समिति भारत में उभरते दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने के लिए सी-डॉट से सिफारिश करती है और जो बाद में सक्षम प्राधिकारी के पास विचार करने एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का मत है कि इस उपाय से स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी और सी-डॉट को ऐसे उपाय करने के लिए सहयोग दिया जाना

चाहिए। इसी के साथ विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए सी-डॉट के बजटीय आवंटन में आवधिक वृद्धि किए जाने हेतु वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की जानी चाहिए।"

16. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:

"टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) ने भारत में दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इस योजना को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथापि, सिफारिश के अनुसार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय बाधाओं के दृष्टिगत अपेक्षित वित्तपोषण प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए विभाग निधियों की उपलब्धता के आधार पर उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना पर विचार करेगा।

सी-डॉट को बजटीय आवंटन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 325.70 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 19.8 करोड़ रुपये अधिक है।"

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

17. समिति ने नोट किया था कि पर्याप्त वित्तपोषण की उपलब्धता के आधार पर सी-डॉट भारत में उभरते दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने और इसके लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना करके अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहेगा। यह नोट करते हुए कि वर्तमान राशि किसी भी सार्थक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए बहुत अपर्याप्त है, समिति ने सी-डॉट से भारत में उभरते दूरसंचार बाजारों की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक उचित रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। समिति नोट करती है कि सी- डॉट

ने भारत में दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि सिफारिश के अनुसार सीओई की स्थापना के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी और मौजूदा वित्तीय बाधाओं को देखते हुए अपेक्षित धन प्राप्त करना कठिन हो सकता है। समिति इस बात से पूरी तरह अवगत है कि 5जी और उससे परे प्रौद्योगिकियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संज्ञानात्मक विज्ञान आदि जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीओई की स्थापना के लिए , निस्संदेह सी- डॉट द्वारा वर्तमान में प्राप्त की जा रही अनुदान राशि में वृद्धि की आवश्यकता होगी। तथापि, देश में दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए सी- डॉट में ऐसे उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना सही है और विभाग को भारत में उभरते दूरसंचार बाजारों की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें निवेश करना चाहिए। समिति दोहराती है कि इस तरह की पहल से स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और सी- डॉट को इस तरह की पहल करने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए तैयार रोडमैप को अंतिम रूप दिया जाए और उसे जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए और उचित औचित्य के साथ अगले वित्तीय वर्ष में इसके लिए पर्याप्त धनराशि की मांग की जाए। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

अध्याय- दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

<u>दूरसंचार विभाग (डीओटी) बजट</u>

(सिफारिश क्रम सं. 1)

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2021-22) को कुल राशि 72,937 करोड़ रुपये के साथ 10 फरवरी, 2021 को रखा, जिसमें राजस्व खंड के तहत और पूंजी खंड के तहत क्रमशः 41803.44 करोड़ रुपये और 31135.56 करोड़ रुपये है। यह राशि पिछले वर्ष की मांगों की तुलना में 6494.69 करोड़ रुपये कम है। 2020-21 के दौरान व्यय के संबंध में, समिति ने नोट किया कि राजस्व खण्ड के तहत बीई पर राशि को कम कर 48756.63 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जो आरई चरण में 43948.88 करोड़ रुपये थी और जनवरी, 2021 तक वास्तविक व्यय 37649.53 करोड़ रुपये हो गया है। समिति ने आगे नोट किया कि बीई चरण के लिए आवंटित धन को आरई चरण पर यूएसओएफ, स्वच्छता कार्य योजना हेतु विशेष सहायता (एसएपी), आईटीआई बेंगलुरु, प्रशिक्षण एनआईसीएफ, आईटीएस/बीडब्ल्यूएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना, 4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी प्रदान करना, बीएसएनएल और एमटीएनएल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों हेतु इंक्रीमेंटल पेंशन इत्यादि जैसी मदों के अंतर्गत कम कर दिया गया। समिति यह मानती है कि धनराशि को वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए आरई स्तर पर कम कर दिया गया है, जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण अपेक्षित नहीं था। समिति यह भी मानती है कि महामारी की स्थिति से उत्पन्न सितंबर, 2020 तक के कुल खर्च में कैप के कारण, जनवरी 2021 तक का व्यय 37649.63 करोड़ रुपये रहा है। विशेष रूप से यूएसओएफ जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए शेष राशि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष के अंत तक किया जाएगा।

पूंजी खंड के तहत, बीई स्तर पर 30675.06 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जो कि आरई स्तर पर घटाकर 8359.92 करोड़ रुपए हो गई और जनवरी, 2021 तक का वास्तविक व्यय 5689.53 करोड़ रुपए हो गया है। 2020-21 के दौरान आरई स्तर पर किए गए आवंटन में कमी का मुख्य कारण, वित्त मंत्रालय द्वारा 20,410 करोड़ रुपए के बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश के लिए निधि की वापसी थी। जहां तक, अन्य योजनाओं में धन के उपयोग का संबंध है, समिति नोट करती है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश, मेजर वर्क बिल्डिंग, डब्ल्यूपीसी, ट्राई बिल्डिंग, टेलीकॉम टेस्टिंग और सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन सेंटर, टेलीकॉम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (टी-सर्टिफिकेट), सेंट्रल इक्विप्मेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) जैसी अन्य स्कीमों के लिए निधियों का उपयोग शून्य रहा है। विभाग को आशा है कि एनएफएस (रक्षा सेवाओं हेतु को एफसी आधारित नेटवर्क), ट्राई और अन्य योजनाओं के लिए आवंटित पूर्ण राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक पूर्णतः उपयोग कर लिया जाएगा।

यद्यपि समिति यह समझती है कि कोविड-19 महामारी के कारण कई शीर्षों के तहत धन के उपयोग में कमी आई है, वे इस बात को जानकर क्षुब्ध है कि 4जी स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजी निवेश हेतु पूंजी खंड के अंतर्गत आवंटित 20,410 करोड़ रुपए की राशि को वित्त मंत्रालय ने निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण वापस ले लिया है। समिति का मानना है कि इस शीर्ष के तहत अल्प व्यय से बचा जा सकता था यदि विभाग ने उपयुक्त उपाय कर निविदा प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक किया होता। यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर दिया गया है। समिति विभाग की निविदा प्रक्रिया में असफल होने पर निराशा जाहिर करती है और चाहती है कि चालू वर्ष में सक्रिय कदम उठाए जाएं ताकि संशोधित चरण में धनराशि में कटौती न हो। समिति सिफारिश करती है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर (सीईआईआर) और टेलीकॉम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (टी-सर्टिफिकेट) से संबंधित सीडॉट को निधि जारी करने के लिए उपयुक्त

उपाय किए जाएं। समिति आशा करती है कि विशेषकर पूंजी खंड के तहत 2021-22 के दौरान निधियों के उपयोग में सुधार होगा और इस हेतु पूर्ण प्रयास किए जाएंगे कि 2021-22 के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश, मेजर वर्क बिल्डिंग, डब्ल्यूपीसी, ट्राई बिल्डिंग, टेलीकॉम टेस्टिंग और सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन सेंटर, टेलीकॉम कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (टी-सर्टिफिकेट), सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) जैसी अन्य स्कीमों के लिए निधियों का उपयोग शून्य न रहे। समिति ने आगे सिफारिश की कि निधियों की उपयोगिता और योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर वित्त मंत्रालय से आरई चरण पर अधिक आवंटन हेतु अनुरोध किया जाए ताकि विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन पर्याप्त बजटीय आवंटन की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित ना हो।

<u>सरकार का उत्तर</u>

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विभाग राजस्व और पूंजी दोनों शीर्षों के अंतर्गत निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021-21 के लिए यह उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने 79,431.69 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इसमें राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 48,756.63 करोड़ रुपए और पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 30,675.06 करोड़ रुपए शामिल हैं जिन्हें घटाकर 52,308.80 करोड़ रुपए कर दिया गया इसमें संशोधित अनुमान चरण में राजस्व शीर्ष 43,948.88 करोड़ रुपए और पूंजी संशोधित चरण में 8359.92 करोड़ रुपए शामिल है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व खंड अनुभाग के अंतर्गत व्यय 45,148.04 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 8356.11 करोड़ रुपए है। यूएसओएफ, एनएफएस और ट्राई जैसी सभी प्रमुख स्कीमों को संशोधित चरण में आवंटित की गई राशियों का पूर्ण उपयोग किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 72,937.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसमें राजस्व खंड के अंतर्गत 41,803.44 करोड़ रुपए और पूंजी खंड के अंतर्गत 31,133.56 करोड़ रुपए शामिल हैं। दिनांक 30.06.21 तक इसमें से राजस्व खंड के

अंतर्गत 8408.60 करोड़ रुपए और पूंजी खंड के अंतर्गत 796.35 करोड़ रुपए की राशि का पहले ही उपयोग कर लिया गया है।

सभी संबंधित नोडल शाखाओं को प्रभावी व्यय निगरानी और विवेकपूर्ण ढ़ंग से निधियों के उपयोग के लिए निदेश दिए जा रहे हैं और साथ ही विभिन्न जारी स्कीमों के लिए आवंटित निधियों के उचित उपयोग पर अतिरिक्त बल दिया जा रहा है। विभिन्न स्कीमों की प्रगति और सी-डॉट, ट्राई, आईटीआई आदि जैसी विभिन्न यूनिटों द्वारा निधियों के उपयोग के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से संशोधित अनुमान चरण में आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा।

बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा निधियों के उपयोग के लिए इस विभाग द्वारा उठाए गए कदम-

1. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व शीर्ष "4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी देना" और पूंजी शीर्ष "बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश" के अंतर्गत आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि बीएसएनएल ने स्पेक्ट्रम आवंटन को अपनी 4जी निविदा की प्रगति से जोड़ने का अनुरोध किया था। वित्त वर्ष 2021-22 में 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए 24,084 करोड़ रुपए की निधियां उपलब्ध कराई गई है। आशा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निधियों का उपयोग किया जाएगा।
2. बीएसएनएल ने दिनांक 23 मार्च, 2020 को 4जी उपकरणों)बीएसएनएल के लिए 50,000 नोड और एमटीएनएल के लिए 7,000 नोड (के प्रापण के लिए एनआईटी जारी की।
3. तथापि विभिन्न स्तरों पर प्रापण के मुद्दे की समीक्षा की गई जिससे स्वदेशीकरण और दूरसंचार उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और दूरसंचार सुरक्षा/भारत के सीमावर्ती देशों से उपकरणों के प्रापण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस मामले को सरकार के अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह)ईटीजी (

को भेजा गया। इसके परिणामस्वरुप दिनांक 01.07.2020 को निविदा निरस्त की गई।

4. भारतीय कंपनियों को बीएसएनएल 4जी निविदा में भाग लेने में समर्थ बनाने के लिए)क्योंकि कोई भी भारतीय कंपनी बृहद स्तर पर मोबाइल सेवाओं के लिए नेटवर्क स्थापित करने के अनुभव संबंधी मानदंड को पूर्ण नहीं करती है (अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट)पीओसी (अपनाया गया है। यह अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह की सिफारिशों पर गठित तकनीकी समिति की सिफारिशों पर आधारित है। दिनांक 01.01.2021 को बीएसएनएल द्वारा पीओसी के लिए रुचि की अभिव्यक्ति)ईओआई(जारी की गई और साथ ही निविदा भी जारी की गई। 5 बोलीदाताओं को आशय पत्र जारी किए गए हैं। इसे दिनांक 01.07.2021 को जारी किया गया था।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा .सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

<u>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 2)

समिति नोट करती है कि आईईबीआर लाभ, ऋण और इक्विटी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा सृजित संसाधनों से युक्त है। दूरसंचार विभाग में छह पीएसयू/संगठन हैं, जिनके माध्यम से आईईबीआर का सृजन होता है, नामतः बीएसएनएल, एमटीएनएल, टीसीआईएल आईटीआई लिमिटेड, बीबीएनएल और सी-डॉट हैं। विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, समिति का मानना है कि 2017-18 से आईईबीआर की वास्तविक उपलब्धि में गिरावट आई है। 2017-18 के दौरान आरई के संदर्भ में आईईबीआर की उपलब्धि 90.09 प्रतिशत थी, यह 2018-19 के दौरान घटकर 63.69 प्रतिशत हो गई, जोकि 2019-20 में घटकर 53.16 प्रतिशत हो गया। 2020-21 के दौरान, बीई पर निर्धारित आईईबीआर लक्ष्य 14187.28 करोड़ रु. था, जो

आरई में घटाकर 13370.22 करोड़ रु. हो गया था और वास्तविक उपलब्धि केवल 5490.67 करोड़ रु. थी जो आरई के संबंध में केवल 41.06 प्रतिशत थी। पुराने अनुभव के आधार पर समिति का मानना है कि 2020-21 के दौरान पीएसयू/संगठनों के आईईबीआर प्रदर्शन में सुधार की संभावना नहीं है। वर्ष 2021-22 के लिए, विभाग ने बीई 2021-22 पर 12244.28 करोड़ रुपये का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया है। समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल, एमटीएनएल, टीसीआईएल, आईटीआई लिमिटेड, बीबीएनएल और सी-डॉट अपने आईईबीआर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बशर्ते कि उनके प्रत्याशित राजस्व/नकदी प्रवाह या बैंक ऋण लक्ष्यों में कोई बड़ी कमी न हो।

समिति का विचार है कि आईईबीआर लक्ष्य में कमी से कम पूंजी निवेश होता है। यह विचार करते हुए कि 2017-18 के बाद से आईईबीआर लक्ष्य लगातार कम हो रहा है, 2021-22 के दौरान इस तरह के विशाल आईईबीआर लक्ष्य को बनाए रखना समिति को अवास्तविक प्रतीत होता है बशर्ते कि उनके पास कुछ विशिष्ट योजना/रोड मैप हो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समिति को लगता है कि इन सार्वजनिक उपक्रमों/संगठनों को सरकार द्वारा सकारात्मक नीति समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बेहतर वित्तीय स्थिति में लाया जा सके। विभाग को इन सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों की राजस्व अर्जन क्षमता की समीक्षा और पहचान समय-समय पर करने की आवश्यकता है और उन्हें आवश्यक समर्थन दे ताकि उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो और वे देयता बनने के बजाय विभाग के बजटीय संसाधनों में योगदान दें। समिति की यह भी इच्छा है कि विभाग आईईबीआर लक्ष्य तय करते समय अधिक यथार्थवादी हो।

<u>सरकार का उत्तर</u>

यह उल्लेखनीय है कि विभाग ने हमेशा आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले पीएसयू को सकारात्मक सहायता प्रदान की है। प्रमुख रुप से उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार

योजनाएं चल रही है। आईबीआर लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में आगे से विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि समिति द्वारा संस्तुति के अनुसार लक्ष्य वास्तविक हों।

मुख्य रूप से बीएसएनएल और एमटीएनएल की खराब वित्तीय स्थितियों के कारण आईबीआर लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई है। उनकी उपलब्धियाँ उनके संशोधित अनुमान लक्ष्यों का केवल 36% और 47% थी। दूसरी ओर टीसीआईएल 2017-18 से अपने आईबीआर लक्ष्यों की 100% पूर्ति कर पाया है। हालांकि शामिल राशि कम है। बीबीएनएल और सी-डॉट के संबंध में संशोधित अनुमान 2019-20 की तुलना में उपलब्धियां क्रमश: 69% और 65% थी। बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन से यह उम्मीद है कि समग्र उपलब्धियों में सुधार होगा। आईबीआर लक्ष्य निर्धारण के संबंध में पीएसयू को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया है कि आईबीआर लक्ष्य के लिए लगाए गए अनुमान वास्तविक है जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा .सं.16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट/दिनांक 2021/07/27)

<u>यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 3)

समिति ने नोट किया कि बीई 2020-21 में भारतनेट के लिए 6000 करोड़ रुपये और अन्य यूएसओएफ योजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये सहित कुल आवंटन राशि 8000 करोड़ रुपये थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा घटाकर 7200 करोड़ कर दिया गया और 31.12.2020 तक वास्तविक उपयोग केवल 5409.08 करोड़ हुआ। समिति को सूचित किया गया है कि यूएसओएफ योजनाओं के लिए धन की कोई समस्या नहीं है। जब भी योजनाएं प्रारंभ होंगी तो सरकार यूएसओ फंड की योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। यद्यपि, समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के

दौरान, प्रस्तावित राशि 3250 करोड़ रु. की तुलना में केवल 9000 करोड़ रुपए की राशि बीई 2021-22 में आवंटित की गई है। 2021-22 के दौरान, विभाग ने भारतनेट, वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान (चरण-II), जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख सहित 354 अनकवर्ड गांवों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान, द्वीपों के लिए दूरसंचार विकास योजना और एनईआर के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना जैसी योजनाओं को व्यापक प्राथमिकता दी है। समिति ने यह भी नोट किया कि 31.12.2020 तक, यूएसओ के तहत संभावित निधि के रूप में उपलब्ध यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) राशि का शेष 55,216.94 करोड़ रुपये है। प्रारंभ में, यूएसओएफ फोकस कम पूंजीगत व्यय की आवश्यकता वाली सेवा प्रावधान परियोजनाओं पर केंद्रित था। अब, फोकस पूंजी गहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में स्थानांतरित हो गया है। समिति को यह भी बताया गया है कि विभाग को यूनिवर्सल सर्विस लेवी (यूएसएल) की दर में संशोधन के लिए टीएसपी/उद्योग निकाय से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो वर्तमान में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5 प्रतिशत है। तथापि, यह तय किया गया है कि दर को कम नहीं किया जाए क्योंकि यह यूएसओएफ के पास उपलब्ध संसाधन को समाप्त कर देगा। विभाग ने समिति को सूचित किया है कि संभावित निधि के रूप में उपलब्ध शेष राशि अपनी योजनाओं के लिए यूएसओएफ की प्रतिबद्धताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

समिति नोट करती है कि विभाग यूएसओएफ के तहत कई पूंजी गहन और बुनियादी ढांचे जैसे भारतनेट, एलडब्ल्यूई चरण-II, एनईआर और द्वीप समूह के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं के लिए प्रावधान आदि को लागू कर रहा है। यह राष्ट्र के हित में है कि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। समिति की यह भी तीव्र इच्छा है कि इन योजनाओं के महत्व को देखते हुए यूएसओएफ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित धन आवंटित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि भारत की समेकित निधि में पर्याप्त यूएएल शेष उपलब्ध है। समिति को सूचित किया

गया है कि जहां तक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन का संबंध है, पैसे की कमी नहीं है और उन्होंने जो भी पैसा मांगा है वह उन्हें मिल गया है। लेकिन यह इस तथ्य से प्रतीत नहीं होता है जब कोई यूएसओएफ योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन को देखते है, जिसमें 1,3250 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में वित्त मंत्रालय द्वारा केवल 9000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। विभाग द्वारा प्रस्तावित की तुलना में आवंटित राशि 4250 करोड़ रुपये कम है। विभाग या तो यूएसओएफ के तहत फंड आवश्यकताओं के लिए वित्त मंत्रालय को समझाने में विफल रहा है या एमओएफ जानबूझकर स्कीमों को न लेने के कारण यूएसओएफ के तहत निधियों को कम रहा है। समिति इस पर गंभीरता से ध्यान देती है और वित्त मंत्रालय द्वारा यूएसओएफ के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराने के लिए विभाग को अनुशंसा करती है। समिति को उम्मीद है कि फंड आवंटन में सुधार होगा और आरई स्तर पर पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा। समिति इस बात को गंभीरता से लेती है और यह सिफारिश करती है कि विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा यूएसओएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु अपेक्षित निधि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समिति आशा करती है कि विभिन्न योजनाओं की आवश्यक स्वीकृति विभाग द्वारा अग्रिम रूप से ली जानी चाहिए ताकि बीई चरण में ही निधि आवंटन में निश्चितता हो और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी न हो।

<u>सरकार का उत्तर</u>

स्कीमों के वास्तविक कार्यान्वयन और प्रगति को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया था। यूएसओएफ स्कीम के व्यय को पूरा करने हेतु निधि की उपलब्धता के संबंध में समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को दिनांक 26.06.2020 के पत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया है।

जहां तक विभिन्न यूएसओएफ स्कीम के लिए आवश्यक अनुमोदन को पहले प्राप्त करने के बारे में समिति की टिप्पणियों का संबंध है, लक्षद्वीप और कोच्चि के बीच सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी प्रारंभिक चरण में है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यू चरण-II) में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य आवंटित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया जारी है। अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य आंवटन हेतु निविदा अनुमोदन के चरण में है। विभिन्न अन्य यूएसओएफ स्कीमों जैसे जम्मू और कश्मीर के सेवा से वंचित 354 गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना, मेघालय में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना और 502 आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना आदि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा अन्य इच्छुक जिलों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु मंत्रिमंडल नोट पर विचार किया जा रहा है। इन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन की गति को वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ाना चाहिए।

दूरसंचार विभाग वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और पणधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। जैसा कि स्थायी समिति द्वारा सुझाव के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन में होने वाले विलंब को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

हाल ही में लॉकडाउन और सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न परामर्शिकाओं के कारण कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संस्थापना टीमों के ग्रामीण स्थलों में प्रवेश करने में रूचि नहीं दिखाई। इससे कार्य की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई है।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा .सं.16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट/दिनांक 2021/07/27)

<u>यूएसओएफ से निधियों का पुनर्विनियोजन</u>

(सिफारिश क्रम सं. 4)

समिति नोट करती है कि वित्त मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आबंटन के रूप में 3000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जिनमे भारतनेट के लिए 2000 करोड़ रुपए और अन्य यूएसओएफ स्कीमों के लिए 1000 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें से 74 करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग के अनुरोध के अनुसार दूरसंचार विभाग का पुन: विनियोजन किया गया है। जब यूएसओएफ से निधियों के पुन: विनियोजन के कारण पूछे गये तो समिति को बताया गया है कि राजस्व खंड में कई शीर्षों के तहत अतिरिक्त धन की तत्काल आवश्यकता थी जिसके कारण 74 करोड़ रुपये की राशि का पुन: विनियोजन किया गया। विभाग ने समिति को आगे बताया है कि यूएसओएफ का संभावित संतुलन इस पुन: विनियोजन से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि शेष राशि यूएसओएल की कुल यूएसएल (यूनिवर्सल सर्विस लेवी) संग्रह से यूएसओएफ योजनाओं पर खर्च की गई कटौती द्वारा प्राप्त की गई है। यूएसओएफ में उपलब्ध निधि का उपयोग केवल यूएसओएफ के घोषित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विभाग ने समिति को यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसा वित्त मंत्रालय की अनुमति से किया गया है।

समिति का विचार है कि यूएसओएफ धन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है इसलिए राजस्व खंड के अंतर्गत अनेक शीर्षो के अधीन अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधियों का ऐसा पुनः विनियोजन वांछनीय प्रवृत्ति है जिससे बचा जाना चाहिए। समिति का विचार है कि अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधि को यूएसओएफ से पुनः नियोजित करने की बजाय वित्त मंत्रालय से आवश्यक निधि आवंटित करने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए क्योंकि यूएसओएफ से पुनः विनियोजन से वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिसके लिए इस कायिक निधि का गठन किया गया था चूँकि यूएसओएफ विशिष्ट और लक्षित उद्देश्य के लिए है, समिति

इच्छा व्यक्त करती है कि यूएसओ एफ के लिए निधियों का ऐसा पुनः विनियोजन भविष्य में न किया जाए। सरकार को इस शेष राशि, जो गरीबों के लिए है, का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क प्रदान करने के बजाय राजकोषीय कमियों को पाटने के लिए नहीं करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

यह सूचित करना है कि किसी शीर्ष से उसी खण्ड (यथा राजस्व से राजस्व या निधि से निधि) के भीतर निधि का पुनर्विनियोजन जिसमें बचत/लौटाई गई राशि को अतिरिक्त आवश्यकता वाले शीर्ष में अनुमानित किया जाता है तो वह उपलब्ध निधि के इष्टतम उपयोग हेतु बजटीकरण की सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है त्वरित पुनर्विनियोजन से यूएसओएफ की संभावित निधि में कटौती नहीं होती है। तथापि जैसा कि समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार भविष्य में यूएसओएफ से पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा .सं.16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट /दिनांक 2021/07/27)

<u>दूरसंचार कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 11)

समिति को सूचित किया कि परियोजना डीओटी और अन्य हितधारकों को दूरसंचार नेटवर्क के साइबर हेल्थ में विजिबिलिटी प्रदान करके सशक्त करेगी और साइबर खतरों और रियल टाइम में हमलों के सामने नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ करेगी। अत: प्रतिदिन खराब होते भारतीय साइबर स्पेस को सुचारू रूप से सुरक्षित करने और साइबर हाइजीन को बनाए रखने हेतु विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई योग्य आसूचना सृजित करने में मदद करना संभव होगा। मोटे तौर पर परियोजना इन क्षेत्रों की पहचान

करेगी तथा इन पर ध्यान केंद्रित करेगी, जैसे कि बड़े पैमाने पर अटैकर्स और दुर्भावनापूर्ण कार्यकलापों द्वारा कंप्रोमाइज्ड सिस्टम की पहचान करना तथा उनके द्वारा नियंत्रित और शोषण किया जाना, रियल टाइम में अटैक को रोकना, बेनाम कनेक्शन आदि की पहचान करना, अटैकर्स और पीड़ितों की पहचान करना, आईपी एड्रेस, देश आईएसपी अथवा संगठन तथा रोकने तथा सक्रिय दुर्भावनापूर्ण अपवाद एप्प की पहचान करना तथा ब्लॉक एप्लीकेशन/यूआरएल/आईपी को ब्लॉक करने हेतु अनुपालन को रोकना और ब्लॉक किए जाने वाले सर्वरों पर अतिरिक्त सूचना सृजित करना। समिति नोट करती है कि ऐसी महत्वपूर्ण योजना के लिए 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों के उपयोग की स्थिति अत्यंत निराशाजनक रही। 2019-20 के दौरान, सी-डॉट को कोई निधि जारी नहीं की गई क्योंकि निधि के उपयोग की प्रगति के आधार पर आरई चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा कम समग्र आवंटन के कारण आरई को घटाकर 'शून्य' कर दिया गया था। 2020-21 में, कोरोना महामारी के कारण द्वारा आपूर्ति में अक्षमता के हवाले से सी-डॉट द्वारा दिए गए परियोजना उपकरणों से संबंधित कई खरीद आदेश विक्रेताओं रद्द कर दिए गए थे। अब खरीद के आदेश फिर से दिए गए हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से समिति नोट करती है कि सी-डॉट को 6.47 करोड़ रुपये जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए मामला प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए, विभाग ने 127.82 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है, तथापि, बीई 2021-22 में मात्र 23 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। विभाग ने अब समिति को सूचित किया है कि इस परियोजना के पैन इंडिया रोल-आउट को ध्यान में रखते हुए, आरंभ में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 22 आईएसपी गेटवे और सीईआरटी-टी के लिए एनओसी/एसओसी हेतु डाटा सेंटर की स्थापना करते हुए, यह राशि प्रस्तावित की गई है। तथापि, आवंटन में कमी से परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उद्देश्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा। विभाग का प्रस्ताव आरई स्तर पर अतिरिक्त राशि की मांग करने का है। उन्होंने आगे बताया है कि डीपीआर के मूल्यांकन के लिए समिति के गठन

के प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है। डीपीआर को अंतिम रूप देने और मंजूरी देने में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

समिति नोट करती है कि इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पहले कदम के रूप में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालांकि यह समिति यह नोट करके चिंतित है कि डीपीआर के प्रस्तावित हो जाने के बावजूद इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन होना शेष है। समिति पाती है कि डीपीआर की मंजूरी के बाद ही 22 आईएसपी के लिए उपकरण खरीदे जा सकते हैं और निधि जारी की जा सकती है। डीपीआर को समय पर मंजूरी दिए बिना 2021-22 के दौरान भी फंड के उपयोग की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। रोजमर्रा के आधार पर खराब होते भारतीय साइबर स्पेस को देखते हुए साइबर हाइजीन में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि डीपीआर की जांच के लिए समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाए और बिना किसी देरी के डीपीआर को मंजूरी दी जाए ताकि इस परियोजना को पूरा किया जा सके जिससे देश में साइबर हाइजीन और सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जल्द से जल्द अनुमोदन भी दिया जाए जिससे सी-डॉट को 6.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वित्त वर्ष 2021-22 में टी-सीईआरटी स्कीम के लिए संशोधित अनुमान 6.47 करोड़ रुपये था और मार्च 2021 में सी-डॉट को पूरी राशि यथा 6.47 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वित्त् वर्ष 2021-22 के दौरान निधि के उपयोग मे सुधार सुनिश्चित करने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा आवधिक समीक्षा की जाएगी।

टी-सर्ट स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना 'रिपोर्ट' (डीपीआर) की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया था और समिति की सिफारिशों के आधार पर डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

<u>सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा:</u>

<u>बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन</u>

(सिफारिश क्रम सं. 12)

समिति नोट करती है कि बीएसएनएल का सालाना खर्च 34,400 करोड़ रुपये से घटकर 24,687 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (9 महीने के आंकड़ों का वार्षिक आधार पर निर्धारित मूल्य) मुख्य रूप से पुनरुद्धार पैकेज के अंग के रूप में वीआरएस के कारण होने वाले कर्मचारी लाभ व्यय में बचत के कारण हुआ है। तथापि, राजस्व में वृद्धि न होने का कारण मुख्य रूप से 4जी सेवाएं शुरू न होना है। इसके अलावा, भूमि परिसंपत्तियों का अनुमानित मुद्रीकरण नहीं हुआ। बीएसएनएल ने कहा है कि उसे वित्त वर्ष 2023-24 के बाद से लाभकारी होने की उम्मीद है, बशर्ते राजस्व की पूर्ण प्राप्ति और सेवाओं से नकदी प्रवाह के साथ-साथ पुनरुद्धार पैकेज के प्रसंस्करण के चरण में परिकल्पित भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण हो। एमटीएनएल के संबंध में, पुनरुद्धार पैकेज के अंग के रूप में वीआरएस के कारण, मुख्य रूप से कर्मचारी लाभ व्यय में बचत के चलते कुल व्यय 5922.70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से घटकर 4264 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (9 महीने के आंकड़ों का वार्षिक आधार पर निर्धारित मूल्य) हो गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के लिए सितंबर, 2020 को समाप्त होने अर्द्धवार्षिकी और दिसंबर, 2020 को समाप्त होने वाले नौ महीनों के लिए ईबीआईटीडीए सकारात्मक रहा। समिति

नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित कुल हानि बीएसएनएल के मामले में 9201 करोड़ रुपये और एमटीएनएल के मामले में 2519.59 करोड़ रुपये का है। समिति यह भी नोट करती है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की दिशा में एक कदम के रूप में और बीएसएनएल को अपनी सेवाओं की मौजूदगी समूचे भारत में बनाने में सक्षम करने के लिए, मंत्री समूह (जीओएम) ने 21.12.2020 को बैठक में दिल्ली और मुंबई में बीएसएनएल को 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऐसी अपेक्षा है कि 4जी सेवाएं शुरू होने से वायरलेस सेगमेंट में बीएसएनएल का राजस्व बढ़ेगा।

समिति को सूचित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2021 से एमटीएनएल की वायरलेस सेवाओं का बीएसएनएल द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा और मुंबई और दिल्ली के लिए 4जी स्पेक्ट्रम एमटीएनएल की बजाय बीएसएनएल को दिया जाएगा। समिति को यह बताया गया है कि स्पेक्ट्रम 20 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया जाता है। इसलिए यह बीएसएनएल के हित में है कि 20 साल की अवधि उस समय से शुरू हुई जब बीएसएनएल वास्तव में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने में सक्षम है। अन्यथा बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देना होगा और अवसर की लागत बहुत अधिक होगी। यह बीएसएनएल के हित में है कि उन्हें जून-जुलाई में किसी समय 4जी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। आगे समिति को विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आज की तारीख में ऐसी एक भी भारतीय कंपनी नहीं है जो उन्हें 4जी के वह उपकरण दे सके जिनका उपयोग विशाल नेटवर्क के लिए किया जा सके। 1 जनवरी, 2021 को नए सिरे से टेंडर निकाला गया है, जिसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा जो अनुभव का विकल्प बनेगा। टीसीएस, टेक महिंद्रा, स्टरलाइट और एलएंडटी जैसी अग्रणी कंपनियों ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए दस्तावेज खरीदे हैं। बीएसएनएल के पास प्री-बिड मीटिंग के बाद करीब 1600 क्वेरीज आई हैं, जिनका उत्तर शीघ्र ही दिया जाएगा।

समिति यह नोट करती है कि वीआरएस तथा पुनरुद्धार योजना की अन्य मदों के सफल कार्यान्वयन के बावजूद बीएसएनएल और एमटीएनएल का राजस्व न बढने का

मुख्य कारण 4जी सेवाएं शुरू न होना है। समिति नोट करती है कि प्रौद्योगिकी के लिहाज से बाजार आज बहुत अलग ढंग से आगे बढ़ रहा है और बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि बीएसएनएल के पास 4जी तकनीक और 4जी उपकरण उपलब्ध नहीं है। आज 97 प्रतिशत डेटा डाउनलोड 4जी पर हो रहा है और बीएसएनएल नेटवर्क भारत के नेटवर्क का केवल 0.7 प्रतिशत का है। इस परिस्थिति में बीएसएनएल से अन्य टीएसपी से मुकाबला करने की उम्मीद करना महत्वाकांक्षा की बात है। 4जी सेवाओं के शुरू न होने से बीएसएनएल और एमटीएनएल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे वे सरकारी सहायता के बिना अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार से बाहर हो जाने की कगार पर आ चुके हैं। समिति का यह भी मानना है कि बीएसएनएल का पुनरुद्धार घरेलू दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के लिए अत्यंत हितकारी होगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए जाएं ताकि बीएसएनएल जल्द से जल्द 4जी सेवाएं शुरू कर सके। यह जानना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवा अभी शुरू नहीं की गई है जबकि अन्य टीएसपी देश में 5जी सेवाओं को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। समिति का दृढ़ मत है कि जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ विभाग का दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा का अनुसरण करने का होता है, न कि प्रतिस्पर्धा से आगे रहने का प्रयास करने का। समिति चाहती है कि बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में और देरी न हो और उन्हें जल्द से जल्द 4जी सेवा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

.1 जैसा कि समिति ने नोट किया, निविदा के बाद पीओसी के लिए रूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 01.01.2021को जारी की गई है। इसके परिणामस्वरूप,

बीएसएनएल ने 5 बोलीदाताओं को कमेंटमेंट के लिए आशय पत्र जारी किया है। आशय पत्र दिनांक 01.07.2021 की जारी किया गया था। बीएसएनएल ने अनुमान लगाया है कि इस माध्यम से 4जी सेवाओं का रॉल आउट करने के लिए आशय पत्र)एलओआई (के जारी होने की तारीख से सबसे अच्छी स्थिति होने पर कम से कम 15महीनें लगेंगे। विभाग/बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाओं को जल्द शुरू करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

.2 बीएसएनएल को 21-2020में स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं किया गया क्योंकि बीएसएनएल ने 4जी निविदा की प्रगति के साथ स्पैक्ट्रम के आवंटन को सम्बद्ध करने का अनुरोध किया था। समिति ने यह भी नोट)उल्लेख (किया है कि बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम तभी दिया जाना चाहिए जब बीएसएनएल स्पेक्ट्रम का वास्तव में उपयोग करने में सक्षम हो। वित्त वर्ष 22-2021में 4जी के स्पेक्ट्रम के लिए 24, 084करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद है कि 22-2021के दौरान बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।

.3 इसके अलावा, बीएसएनएल को सरकारी सहायता के तौर पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/स्वायत्त निकायों को अपनी इंटरनेट/ब्रॉडबैंड, लैंड लाइन और लीज्ड लाइन की आवश्यकताओं के लिए बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

<u>बीएसएनएल और एमटीएनएल की भूमि/भवन/टावर/फाइबर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण</u>

(सिफारिश क्रम सं. 13)

समिति नोट करती है कि भूमि/भवन और टावर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार के घटकों में से एक है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल में मुद्रीकरण के लिए चिह्नित भूमि/भवन परिसंपत्तियों का कुल मूल्य क्रमश: 67837 करोड़ रुपये और 17985 करोड़ रुपये है। वर्ष 2021-22 के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल की भूमि/भवन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से अपेक्षित राजस्व क्रमश: 1200 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये है। विभाग ने समिति को सूचित किया है कि पिछले एक साल के दौरान मुद्रीकरण में समस्या आई क्योंकि भूमि और किराए की कीमतों में कमी आई है। 2021-22 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है क्योंकि विभाग को अधिक संपत्तियों के मुद्रीकरण की उम्मीद है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास कोर और नॉन-कोर, दो तरह की परिसंपत्तियां हैं। नॉन-कोर परिसंपत्तियां भूमि पार्सल हैं और कोर संपत्ति फाइबर और टावर हैं। अपनी कोर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में वे तेजी से आगे बढ़े हैं। बीएसएनएल के पास 68,000 टावर हैं, जिनमें से 13,000 टावरों का किराया मिल रहा है। उन्हें सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा मिल रहे हैं, जो सकल आधार पर टावरों के किराए से होने वाली आय है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि उन्हें फाईबर मुद्रीकरण हेतु 400 करोड़ रूपये भी प्राप्त हुए। अब वे अपने टावरों का प्रतिभूतिकरण कर बैंक को रेंटल स्ट्रीम प्रदान कर अग्रिम राशि ले रहे हैं। अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/बैंक अब बातचीत कर निर्णय के अंतिम चरण में हैं।

उपर्युक्त टिप्पणियों से समिति यह नोट करती है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास कोर और गैर-कोर परिसम्पत्तियों का अपार भंडार है। कोर और गैर-कोर परिसम्पत्तियों का मुद्रीकरण उनके लिए वृहत संसाधन सृजित कर सकता है जो न केवल उनके पुन: प्रयत्न के लिए उपयोग किया जा सकता है तथापि राजस्व स्ट्रीम का एक सतत स्रोत भी बन सकता है। समिति सिफारिश करती है कि इन दोनों कम्पनियों की अपार परिसम्पत्तियों का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए एक उचित अध्ययन किया

जाए और यदि आवश्यकता हो तो सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक समिति का विधिवत गठन किया जा सकता है। समिति इस बात से प्रसन्न है कि बैंकों को रेंटल स्ट्रीम देकर उनके टावरों का मुद्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि सृजित सरकारी परिसम्पत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने का यह एक नया तरीका है। समिति सिफारिश करती है कि विधि/भवन और टावर/फाईबर परिसम्पत्तियों का सफलतापूर्ण मुद्रीकरण के लिए विभाग को नए तरीके और साधन ढूंढने चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

यह सूचित किया गया है कि बीएसएनएल की भूमि/भवन सपंत्ति का कुल मूल्य 67831 करोड़ रुपये है तथा एमटीएनएल का 17985 करोड़ रुपये है। जैसा कि समिति ने नोट किया है 2021-22 के दौरान बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की भूमि/भवन सम्पत्तियों के मुद्रीकरण से अपेक्षित राजस्व क्रमश: 1200 करोड़ रुपये तथा 300 करोड़ रुपये है।

बीएसएनएल ने 2020-21 के दौरान रिलायंस जिओ तथा भारती ऐयरटेल के साथ के पट्टाकृत किराए की 13000 टावरों (लगभग) की प्रतिभूति के तहत सात साल की अवधि के लिए लगभग 1800 करोड़ रू. के ऋण के लिए समझौता किया है जिसमें से बीएसएनएल ने 2020-21 के दौरान 1430 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

<u>आई टी आई लिमिटेड का कार्य निष्पादन</u>

(सिफारिश क्रम सं. 14)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान आई.टी.आई. का सकल लाभ 213 करोड़ रुपये, 2018-19 के दौरान 93 करोड़ रुपये और 2019-20 के दौरान 151 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसम्बर, 2020 की तिथि के अनुसार कुल आय 1192.50 करोड़ रूपये था और कुल व्यय 1382.59 करोड़ रूपये था जिसमें सकल घाटा 190.09 करोड़ रूपये था। समिति को सूचित किया गया है कि यह गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान उपलब्धियों में मामूली गिरावट देखी गई तथापि आई.टी.आई. को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक कार्यनिष्पादन को पुन: प्राप्त करने की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 के लिए आई.आई.टी. का अनुमानित आय व्यय के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि यह राशि क्रमश: 3029.60 करोड़ रूपये और 2676.97 करोड़ रूपये है और इसके मद्देनजर सकल लाभ 352.63 करोड़ रूपये होने की संभावना है। समिति इस बात से भी अवगत है कि आई.आई.टी. पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत सी.सी.ई.ए. द्वारा 2264 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश स्वीकृत किया गया था जिसमें से आई.टी.आई. को अब तक 874 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। शेष 1390 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न पुनरुद्धार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित है। 874 करोड़ रुपये की आबंटित पूंजी के पूर्ण निवेश से आई.टी.आई. 31.12.2020 की तिथि के अनुसार 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2150.70 करोड़ रुपये मूल्य का ग्राहक आदेश प्राप्त कर सकता है और आई.टी.आई. इन आदेशों के मद्देनजर 1151.92 करोड़ रुपये की राशि का राजस्व सृजित करने में सफल रहा है। जहां तक वर्ष 2021-22 के लिए धन आबंटन के संबंध है तो बजट आंकलन 2021-22 में इसके लिए 305 करोड़ रुपये का अनुरोध किया गया था। तथापि इस संदर्भ में मात्र 80 करोड़ रुपये ही आबंटित किये गए। समिति यह भी नोट करती है कि आई.टी.आई. को पुनरूद्धार योजना के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि प्रमुख ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करने में दिक्कत, कार्यकारी पूंजी की कमी, निजी दूर संचार वेंडरों से बाजार में प्रतिस्पर्धा, दूर संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पादों का भारी मात्रा में अप्रचलन, कोविड-19 महामारी आदि है। समिति को यह भी

सूचित किया गया कि अब तक आई.टी.आई. को 5 जी टैलीकॉम उपकरण का निर्माण करने की तकनीक नहीं है। आई.टी.आई. ने टेक महिन्द्रा, टी.सी.एस. और मेवीनीर जैसी कंपनियों के साथ मिलकर 4जी टेक्नॉलोजी में भागीदारी की है। आई.टी.आई. इन भागीदारियों के साथ मिलकर भविष्य में 5जी टेक्नॉलोजी पर कार्य करेगा।

समिति की यह राय है कि 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया' 'डिजिटल इंडिया' आदि जैसे भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में आई.टी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। तथापि, समिति यह नोट करती है कि पुनरूद्धार योजना के अनुसार आई.टी.आई. पूंजीगत व्यय के लिए आई.टी.आई. को धन का आवंटन संतोषजनक नहीं है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 2264 करोड़ रुपये की राशि में से आई.टी.आई. को अब तक मात्र 874 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि से आई.टी.आई. 1152.92 करोड़ रुपये की राजस्व का सृजन करने में सक्षम रहा है। दूर संचार उपकरणों का निर्माण करने वाला आई.टी.आई. चूंकि एक मात्र सरकार के स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। अत: इसके पुनरूद्धार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इस पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है जहां पर्याप्त धन का प्रवाह बना रहे। तथापि, यह नोट करके समिति क्षुब्ध है कि धन का आबंटन इसके पुनरूद्धार योजना के अनुरूप नहीं है। 2021-22 के दौरान बजट आंकलन के समय इसके लिए मात्र 80 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई जबकि प्रस्तावित राशि 305 करोड़ रुपये की थी। समिति सिफारिश करती है कि पुनरुद्धार योजना के अनुसार पर्याप्त निधि का आवंटन किया जाए ताकि आईटीआई एक अग्रणी दूरसंचार उपकरण के निर्माता के रूप में उभर सके जो न केवल देश में दूरसंचार उपकरण की आवश्यकता को पूरा करेगा बल्कि दूरसंचार उपकरणों का निर्यात भी करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता है ताकि आई.टी.आई. के पास अद्यतन दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण करने की प्रौद्योगिकी आ सके। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सरकार को आईटीआई को सतत सहयोग देना चाहिए ताकि यह 5जी सहित विभिन्न दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण में आगे बढ़ने का

साहस कर सके। इस संबंध में संशोधित अनुमान स्तर पर आवश्यक प्रावधान करने के लिए समिति की चिंता से वित्त मंत्रालय को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

वित्त मंत्रालय द्वारा कम निधियां आवंटित किए जाने के कारण यथा प्रस्तावित 305 करोड़ रुपये की राशि की तुलना आईटीआई के पुनरूद्धार के लिए बजट अनुमान 2021-22 में 80 करोड़ की निधियां आवंटित की गई। यदि जरूरत पड़ी तो संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा। जैसा कि निदेश दिया गया है, इस संबंध में समिति की चिंता से वित्त मंत्रालय को अवगत कराया गया है।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

भारतनेट के कार्यान्वयन में प्रगति

(सिफारिश क्रम सं. 5)

समिति नोट करती है कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार भारतनेट को पूरा करने का लक्ष्य अर्थात सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की समय-सीमा मार्च 2019 की थी। तथापि चूंकि यह देश में फैली व्यापक प्रकृति की मेगा परियोजना है, अत: मार्च 2019 तक मात्र 1.18 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा सका था। भारतनेट परियोजना को अगस्त 2021 तक पूरा किये जाने की परिकल्पना थी। तथापि यह समय-सीमा अब कोविड-19 के कारण विभिन्न सरकारों द्वारा लॉकडाउन एवं आवाजाही में लगाए गए प्रतिबंधों के विचार से विस्तारित की जानी है। निधियों के उपयोग की स्थिति के संबंध में समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2020- 21 में 6000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 5500 करोड़ रुपए कर दिया गया था और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार वास्तविक उपयोग 4341.85 करोड़ रुपये रहा है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन की गति लक्ष्य की तुलना में धीमी थी। चरण-II का कार्य मुख्यत: 8 राज्यों (राज्य आधारित मॉडल पर लगभग 65000 ग्राम पंचायतें) तथा बीएसएनएल (सीपीएसयू आधारित मॉडल में 23000 ग्राम पंचायतें) पर निर्भर था। बीएसएनएल अपने आंतरिक मामलों एवं वित्त के कारण क्षमता संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। इसके अलावा राज्य आधारित मॉडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं उड़ीसा राज्य कहीं अधिक धीमा कार्य कर रहे थे। तमिलनाडु में कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया की जा रही है। पीपीपी मॉडल को

अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में विभाग ने सूचित किया है कि भारतनेट में पीपीपी मॉडल के लिए दूरसंचार विभाग में स्वीकृति प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। यूएसओएफ/दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कैबिनेट नोट बनाया जा रहा है।

समिति नोट करती है कि विभाग अभी भी इन राज्यों में क्रियान्वयन की रणनीति से जूझ रहा है। समिति का मानना है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में कार्यान्वयन की भारी क्षमता है और एक बार कार्यान्वयन की रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वे जल्द से जल्द काम पूरा करने में सक्षम होंगे। चूंकि परियोजना को पूरा करने में काफी विलंब हुआ है, इसलिए समिति की इच्छा है कि विभाग द्वारा इस मामले को उच्च स्तर पर संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाए। वित्तीय मामलों के कारण क्षमता की कमी से जूझ रहा है, इसलिए समिति का विचार है कि विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य तरीके और साधन तलाशने चाहिए किसी पीएसयूएलईडी मॉडल के तहत 23000 जीपीएस में कार्य का कार्यान्वयन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाए और बीएसएनएल की क्षमता संबंधी कमियों को परियोजना को समय पर पूरा करने में अवरोध नहीं बनने देना चाहिए, भले ही तेजी से और समय पर निष्पादन के लिए बीएसएनएल को जरूरी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पड़े। समिति को विभिन्न राज्यों में परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित किया जाये।

<u>सरकार का उत्तर</u>

भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में विभिन्न मॉडलों के तहत की गई प्रगति इस प्रकार है:

IV. भारतनेट चरण-I की स्थिति:

इस परियोजना के चरण-I के तहत 1,25,000 ग्राम पंचायतों (संशोधित कार्यक्षेत्र सहित) को जोड़ने का काम 3 सीपीएसयू: बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल को आवंटित किया गया है। दिनांक 31.03.2021 तक 3,07,114 किलोमीटर भूमिगत ओएफसी बिछाकर कुल 1,20,642 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। ओएफसी पर जोड़े गए इन ग्राम पंचायतों में से 1,18,583 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है (पायलट चरण की 60 ग्राम पंचायतों सहित):

सीपीएसयू	**चरण 1- जिले**	**चरण 1- ब्लॉक**	**चरण 1- ग्राम पंचायतें**	**बिछाई गयी ओएफसी)किमी(**	**ग्राम पंचायतें जहां केबल बिछाई गई है**	**सेवा हेतु तैयार ग्राम पंचायतें**
बीएसएनएल	403	2473	101831	250287	100935	100714
रेलटेल	63	316	10805	25357	9368	7697
पीजीसीआईएल	39	512	10401	31459	10324	10157
बीबीएनएल)बीएसएनएल से परिवर्तित (अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	3	6	59	11	15	15
कुल	**509**	**3307**	**123096**	**307114**	**120642**	**118583**

V. भारतनेट चरण-II परियोजना की स्थिति (31.03.2021 तक)

मीडिया के इष्टतम मिश्रण यानी मौजूदा बिजली के खंभों पर एरियल ओएफसी, शीघ्र परिनियोजन के लिए रेडियो और उपग्रह और जैसा कि चरण-I के लिए किया जा रहा है। भूमिगत ओएफसी द्वारा शेष लगभग 1,25,000 शेष बची ग्राम पंचायतों को सीधे ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने के लिए भारतनेट चरण-II का नियोजन किया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन राज्यों और राज्यों की एजेंसियों, और निजी क्षेत्र की एजेंसियों और सीपीएसयू के माध्यम से प्रस्तावित है।

)कार्यान्वयन के तहत (मॉडल	ग्राम पंचायतों की संख्या	राज्य	स्थिति
राज्य-आधारित 9)राज्य(	71,313	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड	बिछाई गयी डक्ट)किमी :(104025 बिछाई गयी ओएफसी)किमी :(132829 ओएफसी पर जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें: 26819 सेवा के लिए तैयार)ग्राम पंचायतें) 19024 :(उत्तराखंड के लिए डीपीआर को मंजूरी दी जा रही है(
निजी क्षेत्र 2)राज्य(	7381	पंजाब और बिहार	बिछाई गयी डक्ट)किमी21770 :(बिछाई गयी ओएफसी)किमी :(22721 ओएफसी पर जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें7357 - सेवा के लिए तैयार)ग्राम

			पंचायतें7357 :(
सीपीएसयू -आधारित 4)राज्य(	27406	बीएसएनएल: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर	बिछाई गयी डक्ट)किमी64262 :(बिछाई गयी ओएफसी)किमी :(53713 ओएफसी पर जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें12510 : सेवा के लिए तैयार)ग्राम पंचायतें (5817 :
सैटेलाइट मॉडल	5548	पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर आदि।	स्थापित 3850 - सेवा के लिए तैयार 3838 -
पीपीपी मॉडल	लगभग 31000	विभिन्न राज्य	कैबिनेट ने भारतनेट के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी दे दी है।
कुल मिलाकर प्रगति			बिछाई गयी डक्ट)किमी190057 :(बिछाई गयी ओएफसी)किमी :(209263 ओएफसी पर जोड़ी गयी ग्राम पंचायतें: 46686 सेवा के लिए तैयार)ग्राम पंचायतें :( ) 36036ओएफसी पर +32198उपग्रह पर (3838

VI. भारतनेट परियोजना की समग्र उपलब्धि:

दिनांक 31.03.2021 तक कुल 5,16,377 किलोमीटर ओएफसी बिछाई जा चुकी है, जिसमें से 1,67,328 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। इन 1,67,328 ओएफसी से जुड़ी ग्राम पंचायतों में से 1,50,781 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा 3838 ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट पर सेवा के लिए तैयार किया गया है। कुल 1,54,619 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। यह

भी सूचित किया जाता है कि भारतनेट एक विशाल स्तर की चुनौतीपूर्ण परियोजना है और ग्राम पंचायतें देश भर के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हैं। भारतनेट परियोजना को अगस्त 2021 तक पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन और विभिन्न सरकारों द्वारा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाये जाने से कार्य पूरा होने की गति प्रभावित हुई है जिससे अब इस अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। तथापि अनलॉक चरण की शुरुआत के साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ न्यूनतम उपयोग और इसके संचालन और रखरखाव के मुद्दे का समाधान करने और बसे हुए गांवों को कवर करने के लिए भारतनेट के पीपीपी मॉडल की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2019 में डीसीसी द्वारा अनुमोदित पीपीपी मॉडल को पीपीपी मॉडल में अंतरण के लिए विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है और तदनुसार मेसर्स डिलॉयट को 13.01.2020 से प्रबंध संबंधी सलाहकार के रूप में नियुक्त गया था। सलाहकारों की टीम ने परियोजना के लिए आवश्यक वीजीएफ निर्धारित करने के लिए कैपेक्स, ओपेक्स और राजस्व मॉडलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद नीति आयोग में इस पर विचार-विमर्श किया गया और उनकी टिप्पणियों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त संशोधनों के साथ यह प्रस्ताव पीपीपीएसी को प्रस्तुत किया गया। कई दौर की चर्चा/प्रस्तुतियों और संशोधनों, दूरसंचार में पीपीपी मॉडल के अपनी तरह का पहला मॉडल होने के कारण पीपीपीएसी की मंजूरी (फरवरी 2021 में) मिली थी। इसके बाद मंत्रिमंडल ने दिनांक 30.06.2021 को पीपीपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कार्यान्वयन की गति को तेज करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा. सं. 16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 27/07/2021)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 8 देखें)

<u>भारतनेट के अंतर्गत सृजित अवसंरचना का उपयोग</u>

(सिफारिश क्रम सं. 6)

समिति नोट करती है कि 31 दिसंबर 2020 तक भारत नेट के कार्यान्वयन के लिए 25101.25 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया था। 3497 ब्लॉक मुख्यालयों सहित 1,51,404 ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार कर दिया गया है और 1,04,026 ग्राम पंचायतों को वाई-फाई हॉटस्पॉट, 4,84,506 ग्राम पंचायतों को एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए, 18,039 किलोमीटर के लिए फाइबर पट्टे पर देने का काम किया गया है, आदि। समिति को यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि भारतनेट का उपयोग विशेषत: वाईफाई हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा अत्यधिक सुधार हुआ है। समिति नोट करती है कि देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान करने के लिए भारतनेट का कार्यान्वयन किया जा रहा है और लगभग सभी 6 लाख ग्रामों को कवर करने के लिए दायरे को बढ़ाया गया है। समिति को बताया गया है कि जैसा कि 18-09-2020 को डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है, पीपीपी-एसी जो कि वित्त मंत्रालय में एक विशेषज्ञ निकाय है, से 16 राज्यों में लगभग 3.5 लाख गांवों को कवर करने के लिए पीपीपी मॉडल के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है और विभाग द्वारा इसे बहुत जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करता है जिसमें सेवा प्रदान करने की लागत की तुलना में राजस्व की बहुत कम संभावना है। सेवाओं की कम लागत वाली पैकेजिंग के साथ केवल एक प्रभावी ओएंडएम ही लंबे समय तक राजस्व सुनिश्चित कर सकता है। विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि इन

वाई-फाई हॉटस्पॉट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए बीबीएनएल द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

समिति का मानना है कि इतने बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद इसका इष्टतम उपयोग विभाग के लिए अगली बड़ी चुनौती है। बनाए गए नेटवर्क के इष्टतम उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निर्माण, उन्नयन, ओएंडएम और भारतनेट के उपयोग के लिए सिफारिश के अनुसार पीपीपी मॉडल को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। बनाए गए नेटवर्क बुनियादी ढांचे के ओएंडएम पर भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि भारतनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न हितधारकों द्वारा सबसे अधिक मांग की जाए। समिति की सिफारिश है कि विभाग द्वारा एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वाई-फाई हॉटस्पॉट के कामकाज से संबंधित सभी शिकायतों पर पर्याप्त रूप से विचार और उनका समाधान किया जा सके ताकि ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता और विभाग को दी गई प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर सकती है। समिति की यह भी इच्छा है कि नेटवर्क के उपयोग में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सके ताकि उनकी आय सृजन को बढ़ाया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

1. नेटवर्क की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

क) उपयोग के लिए काफी हद तक जिम्मेदार सीएससी को एमएलएम और ओएंडएम संबंधी कार्य सौंपना।

ख) बीबीएनएल द्वारा निविदा के जरिए 500 मीटर से अधिक खराब फाइबर की मरम्मत।

ग) कार्य बंद रहने के समय को कम करने के लिए पर्याप्त पुर्जों की व्यवस्था।

घ) सीएससी-एसपीवी को ओएनटी को ऐसे स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई जहां बिजली की उपलब्धता, सुरक्षा और चौबीसों घंटे मैनिंग संभव हो।

ङ) हानिपूर्ण फाइबर और खराब ओएफ केबल सेक्शनों को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

च) भारतनेट चरण-।। में बीबीएनएल बीएसएनएल के मौजूदा ओएफसी नेटवर्क का उपयोग नहीं कर रहा अपितु ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक नए ओएफसी बिछा रहा है।

छ) सभी ग्राम पंचायतों में जीआईएस मैपिंग की जा रही है ताकि तीव्रता और सटीक रूप से दोषस्थान का निर्धारण किया जा सके।

2. भारतनेट नेटवर्क को वाई-फाई हॉटस्पॉट, एफटीटीएच, लीज्ड लाइन आदि के माध्यम से ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं के उपयोग और व्यवस्था करने के लिए टीएसपी, आईएसपी, बीएसएनएल, सीएससी, आरआईएसएल आदि को पट्टे पर दिया जाता है। वाई-फाई हॉटस्पॉट, एफटीटीएच, लीज्ड लाइन आदि से संबंधित शिकायतों का निवारण इन सेवा प्रदाताओं के शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाता प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि का पता लगाने के लिए सर्वे करने हेतु जिम्मेदार हैं।

तथापि बीबीएनएल में वाई-फाई हॉटस्पॉटों, एफटीटीएच, लीज्ड लाइन आदि उपलब्ध कराने के लिए टीएसपी/आईएसपी द्वारा भारतनेट नेटवर्क के उपयोग से संबंधित लोक शिकायत के निवारण हेतु एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।

3. दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार भारतनेट के उपयोग की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	**राज्य**	**ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या जहां वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित किए गए हैं।**	**एफटीटीएच कनेक्शन्स**
1	असम	0	5839
2	बिहार	5344	33282
3	छत्तीसगढ़	3664	17461
4	हरियाणा	5953	33249
5	लद्दाख	169	0
6	जम्मू और कश्मीर	969	766
7	कर्नाटक	5358	36666
8	केरल	1047	2624
9	मध्य प्रदेश	11538	55044
10	महाराष्ट्र	10990	66066
11	पंजाब	7891	38978
12	राजस्थान	8078	2376
13	उत्तर प्रदेश)पूर्व(	17513	105997
14	उत्तर प्रदेश)पश्चिम(	9384	
15	उत्तराखंड	1251	8280
16	पश्चिम बंगाल	1377	6646

17	सिक्किम	0	8
18	अंडमान और निकोबार	0	2
19	चंडीगढ़	12	55
20	अरूणाचल	208	24
21	नगालैंड	0	52
22	मणिपुर	161	100
23	मिजोरम	0	21
24	त्रिपुरा	574	2976
25	मेघालय	70	100
26	गुजरात	3960	33861
27	डी एवं डी	20	34
28	डी एंड एनएच	21	44
29	पुदुचेरी	81	785
30	आंध्र प्रदेश	1570	7365
31	तेलंगाना	1997	2332
32	उड़ीसा	2511	21055
33	झारखंड	2383	15705
34	हिमाचल प्रदेश	254	1072
	कुल	**104348**	**498865**

) संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 11 देखें)

<u>वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (चरण-II) में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान</u>

(सिफारिश क्रम सं. 7)

समिति नोट करती है कि दिनांक 23 मई 2018 को मंत्रिमंडल ने यूएसओएफ द्वारा 7330 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर 2जी+4जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 4072 मोबाइल टावरों को संस्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिनांक 26.8.2019 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा चरण-II के लिए चिन्हित स्थलों पर 4जी कवरेज का सत्यापन करने का निर्णय लिया गया था। एलएसए द्वारा बतायी गयी कवरेज स्थिति के अनुसार, 2217 स्थान कवर नहीं हुए थे। कार्यान्वयन अभिकरण का चयन खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था और परियोजना की कार्यान्वयन अवधि कार्यान्वयन अभिकरण के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने थी। हालांकि, आरएफपी को तकनीक के चयन पर विचार-विमर्श और आरएफपी के खिलाफ प्राप्त एकल बोली के कारण रद्द करना पड़ा। ओडिशा में 325 अतिरिक्त टावर स्थानों को जोड़ने के बाद 2542 स्थलों के लिए 01.12.2020 को डीसीसी के अनुमोदन के अनुसार एलडब्ल्यूई-II परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के विकल्प को अब 2जी+4जी से संशोधित करके 4जी किया गया है। इस परियोजना को नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को प्रदान करने के मुद्दे पर समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल के पास अभी कोई 4जी स्पेक्ट्रम नहीं है और यह जो परिसंपत्ति बनाई गई है वह केवल पांच वर्षों के लिए यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित है। पांच साल बाद संबंधित टीएसपी को कम से कम पांच साल तक जारी रखना होता है। विभाग इस बारे में आश्वस्त नहीं है कि इन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं हो सकता है और क्रय शक्ति कम है, बीएसएनएल को सतत दायित्वों के बोझ से लादे रखना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होगा या नहीं। बीएसएनएल के पास 4जी हो जाने के बाद

वे इस तरह की परियोजना शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। बीएसएनएल ने परंपरागत रूप से कभी किसी टेंडर में भाग भी नहीं लिया है।

समिति नोट करती है कि बीएसएनएल द्वारा एलडब्ल्यूई फेज-1 परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था। इस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की अब दूरसंचार सम्पर्क तक पहुँच है। एलडब्ल्यूई फेज-1 परियोजना को कार्यान्वित करने में बीएसएनएल द्वारा प्राप्त उपलब्धि इस बात का संकेत है कि बीएसएनएल ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम है। समिति ने अपनी छठी और उन्नीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोक सभा) में सिफारिश की थी कि बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन सहित बीएसएनएल की पुनरुद्धार योजना जारी होने के मद्देनजर बीएसएनएल को नामांकन के आधार पर यह परियोजना प्रदान की जाए। जरूरत पड़ने पर सार्वभौमिक गारंटी का मामला भी वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जा सकता है। समिति नोट करती है कि विभाग ने समिति की सिफारिश को वांछित गंभीरता से नहीं लिया है क्योंकि परियोजना के लिए क्रियान्वयन अभिकरण का चयन खुली निविदा के माध्यम से होने जा रहा है। समिति विभाग के इस निवेदन से सहमत नहीं है कि जनसंख्या घनत्व और क्रय शक्ति कम होने के कारण ये क्षेत्र व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं होंगे और बीएसएनएल को सतत दायित्वों के बोझ से लादे रखना नहीं चाहते। चूँकि विभाग स्वयं इस मामले में आश्वस्त नहीं है तो विभाग को कम से कम, बीएसएनएल द्वारा एलडब्ल्यूई फेज-2 परियोजना शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए था। इन क्षेत्रों में सरकार की निरंतर सहायता की आवश्यकता है और मुख्यधारा के साथ अधिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य दूरसंचार संपर्क प्रदान करना सरकार की अत्यंत चिंता का विषय होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व और क्रय शक्ति जैसे कारकों के कारण वाणिज्यिक विचार चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। समिति विभाग से अनुरोध करती है कि खुली निविदा द्वारा आगे बढ़ने से पहले बीएसएनल के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता पर विचार करें। समिति सिफारिश करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करें कि

एलडब्ल्यूई-चरण दो आगे किसी और बाधा के बिना कार्यान्वित किया जाए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस सिफारिश के संबंध में विशिष्ट और सटीक उत्तर दिया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

यह सूचित किया जाता है कि एलडब्ल्यूई चरण-। का कार्यान्वयन नामांकन आधार पर बीएसएनएल को सौंपा गया था क्योंकि इस चरण में 2जी तकनीक का प्रयोग किया गया था और बीएसएनएल द्वारा इसे व्यापक रूप से तैनात किया गया था। तथापि एलडब्ल्यूई चरण-।। के लिए मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 21.12.2017 को प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर 2जी + 4जी सेवाओं के लिए अनुमोदन लिया गया था। तत्पश्चात नीति आयोग के दिनांक 06.05.2019 के निर्णय जिसमें अरूणाचल प्रदेश में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान संबंधी सिफारिश की गई और दूरसंचार विभाग आंतरिक समिति की सिफारिश के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 2,288 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2,542 टॉवरों को 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए एलडब्ल्यूई चरण-।। परियोजना को अनुमोदित किया गया। वर्तमान में बीएसएनएल के पास 4जी सेवाओं के लिए बहुत सीमित नेटवर्क है और यह अभी भी वाणिज्यिक आधार पर 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है।

इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि बीएसएनएल के पास मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए इसे नामांकन के आधार पर कार्यान्वयन के लिए यूएसओएफ की कई परियोजना सौंपी गई है।

कुछ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i) यूएसओएफ द्वारा 947.283 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से मुख्यभूमि भारत (चेन्नई) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के बीच समुद्री ओएफसी कनेक्टिविटी। परियोजना पूरी कर ली गई है।

ii) बीएसएनएल द्वारा नामांकन आधार पर 36.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में सेटेलाइट बैडविड्थ को 2 जीबीपीएस से बढ़ाकर 4 जीबीपीएस करना। परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

iii) यूएसओएफ द्वारा 837 करोड़ रुपये की अनुमोदित वित्त पोषण से मुख्य भूमि भारत (कोच्चि) और लक्षद्वीप समूहों के बीच समुद्री ओएफसी कनेक्टिविटी। परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

iv) यूएसओएफ द्वारा 25.75 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से नामांकन आधार पर बीएसएनएल द्वारा जीएसएटी-11 एवं 19 क्षमताओं का उपयोग कर लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूहों में सेटेलाइट बैंडविड्थ को 318 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1.71 जीबीपीएस करना। परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

v) यूएसओएफ द्वारा 30.75 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से नामांकन आधार पर एनएसआईएल और बीएसएनएल द्वारा लक्ष्यद्वीप समूहों के लिए जीएसएटी-31 क्षमताओं का उपयोग कर सेटेलाइट बैंडविड्थ को 1.71 जीबीपीएस से बढ़ाकर 3.46 जीबीपीएस करना। परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 14 देखें)

<u>टेलीमेटिक्स विकास केंद्र)सी -डॉट(</u>

(सिफारिश क्रम सं. 15)

समिति नोट करती है कि सी डॉट दूरसंचार विभाग का स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है तथा यह राष्ट्र में स्वदेशी दूरसंचार क्रांति लाने की अपनी महती भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाना जाता रहा है। यह दूरसंचार प्रौद्योगिकी में वृहत्तर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत के लिए सहायक रहा है तथा देश में दूरसंचार उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देता रहा है। इसने गत 10 वर्षों में 27 विनिर्माताओं के साथ 90 प्रौद्योगिकी अंतरण समझौते किए हैं। समिति को बताया गया है कि पर्याप्त वित्तपोषण की उपलब्धता के अधीन रहते हुए सी-डॉट भारत में उभरते दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकता को पूरा करने तथा इसके लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना द्वारा अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहता है। यह उत्कृष्टता केंद्र प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण तथा ज्ञान के प्रसार को संभव बनाएंगे। तथापि विश्व में बड़े दूरसंचार अनुसंधान विकास कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए कई बिलियन डॉलर के बजट की तुलना में सी-डॉट को अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए मिल रहे वित्त पोषण की धनराशि अत्यंत कम है। भारत की दूरसंचार क्षेत्र में डिजाइन से लेकर आईपीआर सृजन तक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर विनिर्माण करने हेतु अनुसंधान एवं विकास के लिए अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव के लिए सी-डॉट के वर्तमान में मिल रहे अनुदान की धनराशि 300 करोड़ रुपये को भारी मात्रा में बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की जरूरत होगी।

समिति नोट करती है कि सी-डॉट को प्राप्त अनुदान में वेतन स्टाफ लाभ का अनुपात 2016-17 से धीरे-धीरे बढ़ा है। 2018-19 के दौरान अनुदान की धनराशि में वेतन और स्टाफ लाभ का अनुपात 92.83% था जो 2019-20 में बढ़कर 97.57% हो गया और 2020-2021 में दिसंबर 2020 तक यह अनुपात 105.06% रहा है। इस कारण

से सी-डॉट द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अत्यंत अल्प धनराशि आवंटित की जा सकी। दूरसंचार क्षेत्र के प्रौद्योगिकी प्रधान होने के कारण विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने की आवश्यकता है। अनुसंधान और विकास के बिना वास्तव में देश में सही अर्थों में विनिर्माण संभव नहीं हो पाएगा। यह तथ्य है कि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे 5जी और उससे ऊपर की प्रौद्योगिकी एआई और संज्ञानात्मक विज्ञान आदि में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने के प्रस्तावों के लिए नि:संदेह सी-डॉट को मिलने वाली धनराशि में बहुत अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में मिलने वाली धनराशि अर्थपूर्ण अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप के लिए अत्यंत अपर्याप्त है। समिति भारत में उभरते दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने के लिए सी-डॉट से सिफारिश करती है और जो बाद में सक्षम प्राधिकारी के पास विचार करने एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का मत है कि इस उपाय से स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी और सी-डॉट को ऐसे उपाय करने के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए। इसी के साथ विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए सी-डॉट के बजटीय आवंटन में आवधिक वृद्धि किए जाने हेतु वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की जानी चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र)सी-डॉट (ने भारत में दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इस योजना को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथापि, सिफारिश के अनुसार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय बाधाओं के दृष्टिगत अपेक्षित वित्तपोषण प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए विभाग निधियों की उपलब्धता के आधार पर उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना पर विचार करेगा।

सी-डॉट को बजटीय आवंटन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 325.70 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 19.8 करोड़ रुपये अधिक है।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 17 देखें)

अध्याय - पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

<u>आंकाक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान</u>

(सिफारिश क्रम सं. 8)

समिति नोट करती है कि आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान यूएसओएफ योजनाओं में से एक ऐसी योजना है जिसे 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। इसके अंतर्गत चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आकांक्षी जिलों के 50 असम्मिलित गांवों में 4जी आधारित सेवा के प्रावधान हेतु योजना को 686.71 करोड़ रुपए की लागत के साथ 20.12.2019 को स्वीकृति दी गई थी। आरएफपी को अंतिम रूप दिया जा चुका है और यह कार्य किसी को सौंपा जाना है। अन्य योजना- पांच राज्यों आंध्र प्रदेश (1218 गांव), छत्तीसगढ़ (699 गांव), झारखंड (827 गांव), महाराष्ट्र (610 गांव) और ओडिशा (3933 गांव) के आकांक्षी जिलों में 7287 असम्मिलित गांवों के लिए 6620.55 करोड़ रुपए की लागत से 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 7287 असम्मिलित गांवों को 11.05.2020 को डीसीसी द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अंतिम स्वीकृति हेतु कैबिनेट नोट की प्रक्रिया चल रही है।

समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि भारत में हो रही दूरसंचार क्रांति और विभाग द्वारा यूएसओएफ योजनाओं के कार्यान्यन के बीच देश के आकांक्षी जिलों में अभी भी बड़ी संख्या में असम्मिलित गांव हैं। यह देश में दूरसंचार क्षेत्र की सफलता की कहानी कर धब्बा है। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि 502 असम्मिलित गांवों में मोबाइल सेवाओं का कार्य यथाशीघ्र सौंपा जाना चाहिए। 7287 असम्मिलित गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु अंतिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन कैबिनेट नोट को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि विभाग इस कार्य की

तात्कालिकता को समझकर इसे विशिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरा करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग अन्य आकांक्षी जिलों में असम्मिलित जिलों की पहचान करे और अंतर को पाटने के लिए चालू योजनाओं के दायरे में लाने के प्रयास करे तथा इन असम्मिलित गांवों में बहु-प्रतीक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करने के भी प्रयास करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

इच्छुक जिलों के 7789 गांवों के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4 राज्यों के इच्छुक जिलों के 502 गांवों में मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था के लिए संबंधित टीएसपी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। विभाग द्वारा देश के सभी गांवों में कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

<u>रक्षा स्पेक्ट्रम: ऑप्टिकल फाइबर आधारित रक्षा सेवा नेटवर्क</u>

)सिफारिश क्रम सं .9(

समिति नोट करती है कि प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) रक्षा सेवाओं हेतु नेटवर्क आधारित समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) उपलब्ध कराना है जिसे भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) में दिनांक 16.05.2018 को अपनी बैठक में स्वीकृति की तारीख से 24 महीनों की अवधि में नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना हेतु लागत अनुमान को 13334 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24,664 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। परियोजना को मई, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, परियोजना की विभिन्न निविदाओं से जुड़ी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को दिसंबर, 2020 तक पूरा किया जाएगा। अब, मार्च, 2020 से कोविड-2019 लॉकडाउन के कारण इसके जून, 2021 तक पूरा होने की आशा है।

एनएफसी परियोजना के तीन प्रमुख संघटक है- थल सेना के लिए ओएफसी, नौसेना के लिए ओएफसी और थल सेना तथा नौ सेना के लिए उपस्कर। समिति नोट करती है कि 96 प्रतिशत ओएफसी थल सेना के लिए डाले गए हैं और 94 प्रतिशत लिंक अब तक शुरू किए गए हैं। ओएफसी नौसेना के लिए 84 प्रतिशत हेतु ओएफसी डक्टिंग की गई है। उपस्कर भाग में सभी संघटकों और आपूर्ति संस्थापन, परीक्षण के लिए क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं, विभिन्न संघटकों की कमीशनिंग पूरे जोरों से चल रही हैं। स्पेक्ट्रम जारी करने के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि 22.05.2009 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) और रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन के पश्चात रक्षा मंत्रालय द्वारा 1800 मेगा हर्ट्ज और 2100 मेगा हर्ट्ज में 45 मेगा हर्ट्ज जारी किए गए थे और दूरसंचार विभाग द्वारा इसकी नीलामी से 1,07,757 करोड़ रुपये अर्जित किए गए थे। 15 मेगा हर्ट्ज की स्वैपिंग से भी दूरसंचार विभाग ने 56,190 करोड़ रुपये अर्जित किए थे। रक्षा मंत्रालय द्वारा कल्प्ति स्पेक्ट्रम को रक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है और दूरसंचार विभाग द्वारा नीलामी रखी जा चुकी है।

समिति नोट करती है कि नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना रक्षा सेवाओं हेतु समर्पित, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) आधारित नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण परियोजना है। समिति को यह नोट करके थोड़ा संतोष है कि काफी विलंब और लागत वृद्धि के पश्चात् इसके जून, 2021 तक पूरा होने की आशा है। इस परियोजना को पूरा करने का महत्व इसलिए ही नहीं बढ़ा है कि यह अति महत्वपूर्ण है और रक्षा सेवाओं हेतु समर्पित ओएफसी आधारित नेटवर्क की आवश्यकता है बल्कि इस तथ्य के कारण भी है क्योंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। जारी किए जाने के लिए कल्पित स्पेक्ट्रम को रक्षा मंत्रालय द्वारा और दूरसंचार मंत्रालय द्वारा नीलामी के लिए रखा जा चुका है। समिति का यह भी मत है कि परियोजना को जून, 2021 तक पूरा किए जाने की आशा है तो दोनों नोडल मंत्रालयों/विभागों अर्थात रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के बीच अधिक

समीक्षा बैठकें करने की आवश्यकता है क्योंकि सचिव (रक्षा मंत्रालय) और सचिव (दूरसंचार) के बीच अंतिम समीक्षा बैठक अगस्त 2020 को हुई थी। वित्त पोषण पर समिति नोट करती है कि 5440.20 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि के स्थान पर ब.अ. 2021-22 के स्तर पर 5200 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। चूंकि परियोजना पूरी होने वाली है इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि परियोजना को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और धनराशि की कमी के कारण परियोजना में और विलंब न हो। समिति की इच्छा है कि विभाग गंभीरतापूर्वक कार्य करे और सुनिश्चित करे कि परियोजना लक्षित तिथि तक पूरी हो।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसार इस परियोजना को मई 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तत्पश्चात परियोजना की विभिन्न निविदाओं में शामिल जटिलताओं, रेलवे/एनएचआई/बीआरओ/नगर निकायों/राज्य सरकारों आदि से प्राप्त किए जाने वाले अनेकों मार्गधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमति तथा लद्दाख/कश्मीर/अरूणाचल प्रदेश में कार्य करने के सीमित मौसम पर विचार करने के बाद, इस परियोजना को जून 2021 तक पूरा करने की परिकल्पना की गई थी।

तथापि, दूरसंचार विभाग में हाल में आयोजित की गई समीक्षा बैठक में बीएसएनएल ने यह सूचित किया कि कोविड की द्वितीय लहर, लॉकडाउन तथा श्रमिक संबंधी कारणों से इस परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब प्रत्याशा है कि यूएनएमएस घटक को छोड़कर जिसे मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा यह परियोजना दिसंबर 2021 तक शुरू हो जाएगी।

एनएफएस परियोजना की नियमित अवधि पर सचिव (टी), अपर सचिव (टी) द्वारा समीक्षा की जा रही है। डीडीजी (पीएम) एवं सीएमडी बीएसएनएल भी परियोजना की प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं। ऐसी सभी समीक्षा बैठकों के दौरान रक्षा सेंवाओं के प्रतिनिधि सदैव उपस्थित होते हैं।

एनएफएस परियोजना की कुल अनुमोदित राशि 24664 करोड़ रू. है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बीएसएनएल को अब तक 17845 करोड़ रू. दिए जा चुके हैं। एनएफएस परियोजना हेतु बजट अनुमान 2021-22 में 5200 करोड़ रू. आवंटित किए गए हैं। संशोधित अनुमान 2021-22 चरण पर अनुमोदनों के दौरान यदि आवश्यक होगा तो अतिरिक्त धनराशि मांगी जाएगी।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

<u>दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र (टीटीएससीसी)</u>

)सिफारिश क्रम सं .10(

समिति नोट करती है कि 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड बेंगलुरू में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जो सुरक्षा मानकों (आईटीएसएआर-भारतीय दूरसंचार आश्वासन मानक) को सुगम बनाने तथा सुरक्षा जांच, विधिमान्यकरण तथा सुरक्षा प्रमाणन और सुरक्षा जांच सुविधा सृजन और क्षमता निर्माण में सहायता हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए नीतियों को सुगम बनाने में 5जी सुरक्षा के लिए नेशनल टेस्ट बेड के तौर पर कार्य करेगा। तथापि, समिति 2019-20 और 2021-22 के दौरान निधियों के उपयोग की अत्यंत खराब स्थिति को नोट करके चिंतित है। 2019-20 के दौरान 5.39 करोड़ रुपए के सं.अ. आबंटन के स्थान पर वास्तविक उपयोग केवल 1 लाख रुपये था। 2020-21 के दौरान स्थिति और खराब है। ब.अ. स्तर पर 10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ. स्तर पर घटा कर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया था और 2020-21 का उपयोग शून्य रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि 2021-22 के दौरान 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा है तथापि ब.अ. स्तर पर केवल 15 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। निधियों के कम आबंटन के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने समिति को सूचित किया है कि 2020-21 के दौरान विभिन्न कार्यकलाप उदाहरणार्थ परियोजना प्रस्ताव तैयार करना और 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड हेतु आकलन किए गए थे। परियोजना

प्रस्ताव और परियोजना प्राक्कलन वर्तमान स्वीकृति और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं और कोविड महामारी की स्थिति के कारण कार्यकलापों में थोड़ा विलंब हुआ है। समिति यह भी नोट करती है कि अति विशिष्ट क्षेत्र होने के कारण दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन के क्षेत्र में देश में पर्याप्त विशेषज्ञता का सामान्य अभाव है। सुरक्षा जांच में नवीनतम ज्ञान प्रदान करने के लिए आईआईएससी की मदद से प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव है। समिति को सूचित किया गया है कि अधिकारियों को सुरक्षा जांच हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आईआईएससी की मदद से कुछ प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। इन प्रशिक्षणों का आईआईएससी द्वारा प्रबंध किया जाना है। समिति यह भी नोट करती है कि अपेक्षित तकनीकी क्षमता विकसित करने हेतु एकल संस्था प्रौद्योगिकी संबंधी सुरक्षा जांच विशेषता के शीघ्र विकास के लिए उचित नहीं है। अत: एनसीसीएस ने अन्य संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव रखा है। यह मामला विभाग के विचाराधीन है।

उपर्युक्त अवलोकनों से समिति नोट करती है कि विभिन्न घटक जैसे कि प्रस्ताव और परियोजना आकलन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब, निधियों का उपयोग, पर्याप्त विशेषज्ञता का सामान्य अभाव, तत्काल समाधान की कमी आदि जैसे घटक विभाग के समक्ष परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। परियोजना के अनुमोदन के पश्चात ही प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, समिति का मत है कि प्रस्तुत किए जाने वाली परियोजना हेतु शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अति महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। समिति सिफारिश करती है कि यथाशीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबद्ध प्राधिकारी पर जोर दिया जाए। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में समिति यह समझने में असमर्थ है कि आईआईएससी ने अब तक किसी विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रबंध क्यों नहीं किया है। समिति का मत है कि सुरक्षा जांच के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि आईआईएफसी द्वारा यथाशीघ्र विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि विभाग के विचाराधीन

सुरक्षा विशेषज्ञता के शीघ्र विकास हेतु अन्य संस्थाओं के साथ एनसीसीएस का समझौता ज्ञापन करने के प्रस्ताव को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि 5जी हेतु सुरक्षा टेस्ट बेड को समय से स्थापित किया जाना चाहिए ताकि 5जी लागू होने से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा संबंधी किसी भी चिंता से निपट सके। समिति की इच्छा है कि उसे इस संबंध में की गई सारी प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एनसीसीएस बेंगलुरू द्वारा 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड की स्थापना हेतु, परियोजना अनुमान अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके शीघ्र अनुमोदन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अनुमान के अनुमोदन की प्रत्याशा में निधियां माँगी गई थी परन्तु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा सका। अनुमान स्वीकृत होने के पश्चात् प्रयोगशाला की स्थापना के लिए आवंटित धन का उपयोग करने हेतु हर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जनशक्ति के प्रशिक्षण के संबंध में यह सूचित किया गया है कि आईआईएससी ने एनसीसीएस के अधिकारियों हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "क्रिप्टोग्राफी के मूलभूत सिद्धांत एवं क्रिप्टो उत्पादों का प्रमाणीकरण" आयोजित किया। इसके अतिरिक्त, आईआईएससी ने "नेटवर्क और नेटवर्क सुरक्षा" पर प्रशिक्षण के लिए खुली बोली आमंत्रित की है। आईआईसी से "क्लाउड सुरक्षा, ओएस अवधारणाएं और वर्चुअलाइजेशन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

एनसीसीएस ने एमओयू द्वारा अन्य संस्थानों के साथ अनुसंधान कार्य करने के लिए फंड आंवटन और शक्ति की मांग की है। एनसीसीएस का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग, मुख्यालय में विचाराधीन है।

)संचार मंत्रालय/दूरसंचार विभाग का का.ज्ञा.सं .16-3/2021-बी/23वीं रिपोर्ट दिनांक 2021/07/27)

नई दिल्ली;
29 नवंबर, 2021
8 अग्रहायण, 1943 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।

अनुबंध- दो

तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

(सत्रहवीं लोक सभा)

[प्राक्कथन का पैरा सं. 5 देखें]

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश क्रम सं.: 1, 2, 3, 4,6 11, 12, 13, और 14

कुल - 8

प्रतिशत 53.33

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश क्रम सं.: शून्य

कुल - शून्य

प्रतिशत 0.00

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश क्रम सं.: 5, 6, 7 और 15

कुल - 04

प्रतिशत 26.67

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

सिफारिश क्रम सं.: 8, 9 और 10

कुल - 03

प्रतिशत 20.00